

प्रकाशक : "ISBN 978-81-936352-3-0

चीता पब्लिकेशन

मुख्य कार्यालय

रजि. कार्यालय :-

सुखसागर कॉलोनी, वार्ड न. 2

मु.पो. कंचनपुर, तह. श्रीमाधोपुर

गौरव पथ चौराहा, बाईपास रोड़,

जिला – सीकर (राज.)

श्रीमाधोपुर (सीकर-राज.)

मो. 09799257635

सर्वाधिकार सुरक्षित चीता पब्लिकेशन

प्रथम संस्करण : सन् 2020 प्रतियां:- 1100

मूल्य : एक सौ दस रूपए मात्र(110.00)

कम्प्यूटर टाईपसैटिंग चीता कम्प्यूटर श्रीमाधोपुर, सीकर, राजस्थान

समर्पित

सूर्य भगवान, श्री जीण भवानी, माता-पिता, गुरुजनों एवं मित्रों की अनुकम्पा एवं प्रेरणा से इस पुस्तक का प्रकाशन संभव हो पाया है।

पुस्तक का कम्पोजिंग कार्य कम्प्यूटर द्वारा करवाया गया है। पुस्तक लेखन में लेखक, प्रकाशक, मुद्रक ऑपरेटर तथा प्रूफ रीडर द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई है। फिर भी भूलवश गलती रहना या कमी रहना स्वाभाविक है। इस प्रकाशन को अथवा इसके किसी अंश को बिना प्रकाशक की लिखित अनुमति के किसी भी रूप (फोटोग्राफी, विद्युतग्राफी, यांत्रिकी अथवा अन्य रूपों) में उपयोग के लिए मुद्रित नहीं किया जा सकता। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। किसी भी परिवार के लिए न्यायिक क्षेत्र श्रीमाधोपुर (सीकर) ही होगा।

VAAHAN CHALKON KE JEEWAN SURAKSHARTH

MARAG DARSHIKA

SAMPADAK : TARA CHAND CHEETA

PUBLISHER : CHEETA PUBLICATION SHRIMADHOPUR

SIKAR (RAJ)

Mob. 09799257635

price Rs : 110.00

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

क्र.सं.	विवरणिका	पृ.सं.
1.	मन की बात	4
2.	लेखक परिचय	8
3.	संदेश	11
4.	सड़क क्या है?	23
5.	सड़क की परिभाषा	23
6.	सड़क निर्माण का इतिहास	23
7.	ग्रांट ट्रंक रोड क्या है?	24
8.	सड़कों के प्रकार	25
9.	वाहन चालकों के लिए नियमों की जानकारी	27
10.	दुर्घटना आपात्कालीन स्थिति में क्या करें।	49
11.	सी.पी.आर. क्या है?	50
12.	सड़क पर चलते समय निम्न बातों का ध्यान रखें।	52
13.	विंडशील्ड का उपयोग	54
14.	सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण निम्न हो सकते हैं।	56
15.	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय	58
16.	राजस्थान आरटीओ की सूची	60

17.	भारत के यातायात के नियम व चिन्ह	63
18.	भारत में यातायात के मुख्य संकेत	65
19.	भारत में यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि	66
20.	राजस्थान में मोटर वाहन अधिनियम जुर्माना राशि	68
21.	भारत में सड़क यातायात के चिन्ह	70

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

1.मन की बात

“वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका” नामक पुस्तक वाहन चालकों एवं उनके परिवार जनों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि भारत देश सहित सम्पूर्ण संसार में सड़क दुर्घटनाओं में हमेशा हजारों की संख्या में वाहन चालकों सहित अन्य लोगों को मौत का काल ग्रास बनना पड़ रहा है। सड़क पर चलते समय जिन्दगी का सफर स्वयं वाहन चालक के हाथ में होता है, उसको वाहन चालक किस तरह सम्भाल कर चल पाता है, मानव शरीर एक अनमोल रत्न के समान है। जिस तरह मनुष्य का जीवन होता है, उसी तरह सड़क पर चलने का जिन्दगी का सफर होता है। एक वाहन चालक जब सड़क पर यात्रा का शुभारंभ कर अपने गन्तव्य तक पहुँचने में अहम रोल अदा कर अपने जीवन को सुरक्षित सड़क पर सुखद यात्रा कर लम्बा जीवन जी सकता है। इस पुस्तक में वाहन चालकों व अन्य नागरिकों के लिए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सड़क पर सुखद सफर करने के लिए कुछ खास बिन्दुओं को वर्णन सहित दर्शाया जा रहा है। इन खास सुझावों को सड़क पर चलते समय अपने दिमाग में रखे, तो अपने अमूल्य जीवन के सफर को वाहन चालक सहित सड़क पर आवागमन करने वाले राहगीर लम्बा जीवन जी सकते हैं। वाहन चालक सहित प्रत्येक यात्रि अपने परिवार की अमूल्य धरोहर होता है। क्योंकि प्रत्येक परिवार अपने सभी सदस्यों की खुशहाली और सलामती चाहते हैं। अक्सर देखने में आता है, घरेलू तनाव में यदि वाहन चालक होता है तो निश्चित ही दुर्घटना का शिकार स्वयं होता है तथा अन्य को करता है। इसलिए उस दिन वाहन न चलाकर अपने किसी अच्छे मित्र या मनोरोगी चिकित्सक के पास जाये, मित्र ऐसा हो जो आपके मन की बात को सुने, समझे और उसको हल करने की कोशिश करे, न कि आपकी बात का मजाक बनाकर आपका तनाव अधिक बढ़ाये तथा आपकी मजाक उड़ाये, जबकि आप से व्यवहार कुशल की बातें करें, आपकी पूरी बात सुने और उस पर ठोस मनन करके उसको बनावटी तरीके से आपके मन का भार हल्का करे। उससे दिमाग का तनाव कम होगा, क्योंकि व्यक्ति मानसिक तनाव में मन के अन्दर तरह-तरह के विचार पैदा करता है। यह भूल जाता है कि मैं वाहन चला रहा हूँ या घर पर बैठा हूँ। इसी उधेड़-बूँन में सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है। वाहन चालक को गाड़ी चलाते समय हर समय अपने चेहरे पर खुशियाँ रखनी चाहिए। क्योंकि आपके चेहरे की खुशहाल सूरत ही वाहन चालक की

पहचान कराती है। समतल क्षेत्र के वाहन चालकों को यदि पहाड़ी क्षेत्र में जाना पड़ जाए तो सड़क पर दोनों दिशाओं में गहराई वाले नाले, गड्ढे, ढलान तथा चढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान रखते हुए अपना सफर तय करें, जिससे आपके साथ अन्य यात्री अपने जीवन की सुखद यात्रा का सफर तय कर सकें। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में वाहन चलाने वालों का हमेशा का अनुभव रहता है तथा समतल क्षेत्र में वाहन चलाने का अनुभव अलग बात है। सड़क पर आवागमन की राह को जिन्दगी का सफर समझे। प्रिय पाठकों आप प्रतिदिन सुबह-सुबह चाय के साथ न्यूज पेपर पढ़ते हैं या टेलिविजन देखते हैं, उसमें इन दुखद घटनाओं को पढ़कर, देखकर आपका मन खराब हो जाता होगा कि वाहन चालक की छोटी सी लापरवाही से कितने लोगों की जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। वाहन चालक यदि सुरक्षित वाहन को चलाकर यात्रा करेगा तथा वाहन को सड़क के नियमानुसार ड्राइंग करेगा तो स्वयं के साथ-साथ दूसरे को भी अपने गन्तव्य तक पहुँचाने में सफल होगा। कहा भी गया है **“स्वयं सुरक्षित तो सभी सुरक्षित”** भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ प्रकृति ने तीन मौसम दिए हैं जो अन्य किसी देश में न के बराबर हैं यहाँ सर्दी, गर्मी और वर्षा सर्दी के मौसम में धुंध की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में देश भर में हजारों लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। धुंध के कारण आगे पीछे का वाहन साफ दिखाई नहीं दे पाता है। चालक की छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ी दर्दनाक घटना को अंजाम दे देती है। वाहन चालक सड़क नियमों की पालना करते हुए चलें तो सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। इस मशीनरी युग में वाहनों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिनमें टूहीलर(मोटरसाईकिल, स्कूटर) की संख्या अधिक है। अधिकतर सड़क दुर्घटनाओं में टूहीलर चालक दुर्घटना का शिकार हुआ है। जिसमें चालक या साथ में सफर कर रही सवारी के सिर पर लगी चोट मौत का कारण बनती है। इस गम्भीर चोट से बचने के लिए सुरक्षा ही उपाय है, और वह है सिर का कवच हेलमेट! टूहीलर वाहन चालक यदि सुरक्षित सफर तय करना चाहता है तो अपने सिर को बचाने के लिए उत्कृष्ट किस्म का हेलमेट सिर पर पहनकर ही यात्रा करे, सड़क दुर्घटना में बचाने के लिए हेलमेट मुख्य भूमिका निभायेगा, क्योंकि सिर व गर्दन पर लगी चोट मृत्यु और विकलांगता का मुख्य कारण बनती है। देश के टूहीलर दुर्घटनाओं के आंकड़ों के अनुसार दुपहिया वाहन चालक व उसके साथ सवारी की 75 प्रतिशत मौते सिर पर लगी चोट के कारण होती है, मस्तिष्क की चोट शरीर के अन्य अंगों से अधिक नुकसानदायक होती है, क्योंकि यहाँ की चोट खतरनाक है यदि

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

वाहन चालक घायल हो जाता है तो सिर की चोट की बीमारी का ईलाज कराने में काफी रूपया बर्बाद हो जाता है। इसलिए "दुर्घटना से देर भली" वाहन चालक को रात के समय वाहन चलाना बड़ा ही मुश्किल काम है रात के अन्धेरे में वाहन की लाईट हाईबीम पर होने के कारण सड़क पर चलने वाले साधन व खड़के साफ दिखाई नहीं देते हैं, तथा अन्य वस्तुएँ भी अच्छी तरह से साफ नजर नहीं आती हैं। सभी तरह से अपनी सुरक्षा के लिए अपनी वाहन की गति धीमी रखें तथा स्वयं के वाहन से दूसरे वाहन के बीच की दूरी नियमानुसार निश्चित दूरी पर रखें। अपनी लाईटों को बराबर चालू रखें, जिससे सड़क पर चलने वाले पैदल यात्री व जानवर दिखाई दे सकें। वाहन चालक अपनी गाड़ी पर उत्तम किस्म की रेडियम पट्टी लगाकर चले तथा वाहन के विंडस्क्रीन को रात के समय कुछ अन्तराल के दौरान उसकी सफाई करते रहना चाहिए। वाहन चालक को मोबाईल का उपयोग वाहन चलाते समय कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि चालक का सम्पूर्ण ध्यान सड़क पर केन्द्रित होना चाहिए यदि सड़क से उसकी एकाग्रता भंग होती है, तो वाहन चालक की छोटी सी गलती उसके सहयात्रियों या उसके परिवार जनों पर दुख का पहाड़ गिरा सकती है। विश्व भर के सड़क दुर्घटना के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएँ भारत देश में होती हैं। जो पीड़ित परिवार के लिए बहुत दुख दायी और परेशानी का सबक बनती हैं, वाहन के सामने सड़क पर अचानक जानवर, वाहन या व्यक्ति आ जाते हैं, जिससे चालक अपनी गाड़ी पर कन्ट्रोल नहीं रख पाता है और दुर्घटना हो जाती है। इसलिए अपने वाहन की गति धीमी रखें, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ न सके, तथा अपने विवेक से काम लें। यदि जानवर आ जावे तो उसको रोड़ क्रॉस करने दे, उस समय किसी भी प्रकार का हॉर्न न बजाये, क्योंकि हॉर्न की आवाज से जानवर इधर-उधर दौड़ सकता है, जिससे वाहन चालक व अन्य पैदल यात्री को भी खतरा हो सकता है। इसलिए वाहन चलाते समय अपने दिमाग को स्थिर रखें। सभी वाहन चालक यह समझे कि दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। यह सभी प्रकृति पर निर्भर करता है बस घायल के साथ मानवता निभाएं। सभी वाहन चालकों की जिन्दगी के लिए इस पुस्तिका में सड़क सुरक्षा से संबंधित नियम और सुझावों के लिए उनकी पालना हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिन्दू दर्शाए गए हैं जो लेखक ने संकलन के रूप में पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों मिडिया और अपने पुलिस विभाग में रहे अनुभव आदि तरह से वाहन चालकों हेतु यह अनमोल शब्दों का रत्न इस पुस्तक में मोतियों की माला की भांति सजाए हैं। जो प्रत्येक वाहन चालक के लिए जीवनोपयोगी साबित होंगे।

चीता पब्लिकेशन

इसमें संकलित सामग्री आपके विचारों से मेल बना सके, इसी अनुरूप में लेखक द्वारा यह संन्दर्भ पुस्तक आप पाठकों की सेवा में समर्पित की गई है। इस पुस्तक में लेखक के मार्ग दर्शक, लेखक के मानस गुरुजी श्री राजेन्द्र शर्मा एडवोकेट श्रीमाधोपुर जो समय-समय पर लेखक को दिशा निर्देशों के साथ सफलता के मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। अन्त में, लेखक की हैसियत से गुरुजनों, सभी सहयोगियों, साथियों, महानुभावों तथा पत्र-पत्रिकाओं के लेखकों को भी पुनः साधुवाद प्रेषित करना अपना नैतिक दायित्व समझता हूँ। जिनके विचारों को इस पुस्तक में सम्मिलित किया है। जिनमें पत्रिका सड़क सुरक्षा के साथी जो सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ परिवहन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई थी, उसको पठनोंपरान्त लेखक के मन में कई विचार आने लगे कि क्यों न वाहन चालकों के लिए एक मार्गदर्शिका लिखकर प्रकाशित की जाये इस विचार को मन में संजोकर लेखक ने विभिन्न यातायात से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करके आप सभी के सम्मुख यह छोटी सी कृति प्रस्तुत की जा रही है।

इसी आशा और विश्वास के साथ।

धन्यवाद।

आपका




ताराचन्द मीणा(चीता)

कंचनपुर श्रीमाधोपुर सीकर।

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

2. लेखक परिचय

लेखक ताराचन्द चीता (प्रधानाध्यापक)
आत्मज



श्री श्रवण कुमार मीणा

जन्म :- 30 सितम्बर 1969

जन्म स्थान :- कंचनपुर, तह. :- श्रीमाधोपुर जिला :- सीकर (राज.)

1. शिक्षा :- बी. कॉम, एम. ए. हिन्दी एवं राजस्थानी, नेट, पत्रकारिता (जनसंचार) में स्नातक, बी. एड, एम. एड., जल ग्रहण प्रबन्ध में डिप्लोमा।

2. पुलिस सेवा :- आपने 1990 से 1998 तक दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के रूप में कार्य किया।

3. सम्मान :-

1. श्री दादू सम्प्रदाय प्रधान पीठ नरायना पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महन्त गोपाल दासजी महाराज।(2008)
2. राष्ट्रीय मीणा महासभा प्रतिभा सम्मान समारोह कोछोर जिला सीकर (साहित्य लेखन 2008)
3. डॉ. स्वामी राघवाचार्य वेदान्ती अग्रपीठाधीश्वर रैवासा धाम सीकर (2009)
4. श्रीमान् विधानसभा अध्यक्ष राज. सरकार (2009)
5. श्रीमान् शिक्षा मंत्री राज. सरकार (2011)
6. श्रीमान् मुख्यमंत्री राज. सरकार (2012)
7. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी सीकर (2012)
8. श्रीमान् जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, भू-जल मंत्री राज. सरकार (2012)
9. श्रीमान् जिला प्रमुख सीकर (2012, 2013)
10. श्रीमान् उप सचिव राज. किसान आयोग जयपुर (2013)
11. परम हितैषी मासिक पत्रिका सीकर (साहित्य लेखन सम्मान 2013)
12. ग्राम पंचायत जयरामपुरा खण्डेला सीकर (पर्यावरण सम्मान 2010, 2013)
13. डॉ. अम्बेडकर विचार समिति श्रीमाधोपुर सीकर (सम्मान पत्र 2011, 2013)
14. श्री श्याम जन सेवा समिति जयपुर (जनकल्याण सम्मान 2013)
15. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जयन्ती समारोह समिति सीकर(पत्रकारिता सम्मान 2013)
16. श्री अग्रवाल समाज समिति श्रीमाधोपुर सीकर (श्री अग्रसेन जीवन चरित्र हेतु सम्मान 2013)
17. श्री विजयरामदास सेवा समिति श्रीमाधोपुर सीकर (जनकल्याण हेतु 2014,2015)

18. श्रीमान् जिला कलेक्टर सीकर (2009,2015)
19. भारतीय मीना समाज नई दिल्ली (सामाजिक कार्यकर्ता सम्मान 2015)
20. मीना शादी मिलन समाज सेवा संगठन जयपुर (दहेज मुक्त शादी सम्मान 2017)
21. श्रीनटनागर शोध संस्थान राष्ट्रीय सेमिनार मंदसौर मध्यप्रदेश (इतिहास लेखन सम्मान 2018)
22. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर सीकर (पर्यावरण 2018)
23. शेखावाटी आदिवासी मीना (मीणा) समाज संस्था सीकर राजस्थान तह. खेतड़ी, लक्ष्मणगढ़ (2019)
24. बूदा आदिवासी मीना (मीणा) समाज संस्था बूंदी राजस्थान तह. समिति नैनवा (2019)
25. ब्लॉक स्तरीय शिक्षक पुरस्कार (ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी खण्डेला 2019)
26. राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) जिला शाखा सीकर (2017, 2019)
27. अलायन्स क्लब श्रीमाधोपुर (शिक्षक गौरव सम्मान 2019)
28. अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश आदिवासी कांग्रेस राजस्थान (साहित्य लेखन 2019)
29. गुरु वन्दन समारोह गुरु पुर्णिमा राजस्थान पत्रिका (2019)

4. सम्प्रति :-

1. अध्यक्ष :- अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा चिन्तन परिषद राजस्थान।
2. सदस्य :- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जिला स्तरीय टास्क फोर्स सीकर।
3. प्रवक्ता :- श्री विजयरामदास सेवा समिति श्रीमाधोपुर सीकर।
4. उद्घोषक (Announcer) :- राजस्थानी भाषा
5. उपाध्यक्ष :- जल बचाओ, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ समिति, श्रीमाधोपुर,

सीकर।

6. ब्रांड एम्बेसडर :- राजस्थानी भाषा
7. उपाध्यक्ष :- प्रा./उ.प्रा. प्रधानाध्यापक वाकपीठ संगोष्ठी ब्लॉक खण्डेला

सीकर।

5. अभिरूचि :- साहित्य लेखन, समाज सेवा, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, पर्यावरण संरक्षण।

6. भाषा ज्ञान :- राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, अंग्रेजी, हिन्दी, भोजपुरी।
7. आकाशवाणी :- जयपुर केन्द्र से कई लघुवार्ता प्रसारित हो चुकी है।
8. फिल्म कहानी रचना :- बाबो भात भरयो गुजरी को (राजस्थानी फिल्म)
9. प्रकाशित रचनाएँ :-

1. श्री विजयराम दास जी का चमत्कारिक इतिहास।
2. कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक अभिशाप।
3. प्रार्थना वल्लरी (प्रार्थना स्थलिय कार्यक्रम)।

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

4. पानी आग लगायेगा।
5. मरूधरा री शान शेखावाटी।
6. आराध्य देव वन्दना।
7. शेखावाटी के वीर स्वतंत्रता सेनानी।
8. श्री दादू चालीसा।
9. मंच संचालन (राजस्थानी भाषा)।
10. ग्रंथ आदिवासी मीना(मीणा) समाज का ग्रंथ भाग—प्रथम (मूलनिवासियों का एक मात्र ग्रंथ)।
11. वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्गदर्शिका।
12. दादी नानी री कहानियां।
13. आपणौ गाँव कंचनपुर इतिहास (शीघ्र प्रकाश्य)।
14. ग्रंथ आदिवासी मीना (मीणा) समाज का ग्रंथ भाग—द्वितीय (मूलवासियों का एक मात्र ग्रंथ) (शीघ्र प्रकाश्य)।

Search : - Social Media



: - CHEETAPUBLICATION

: - CHEETAPUBLICATIONS.COM

बाबूलाल पारीक

अध्यक्ष : ऑल इण्डिया पारीक महासभा
 ट्रस्टी इन्चार्ज : महर्षि पराशर फाउन्डेशन
 अध्यक्ष : ग्रेन एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन

3.

संदेश

24/02/2020

प्रिय ताराचंद जी,

यह जानकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि आपके द्वारा संपादित पुस्तक "वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्गदर्शिका" का चीता पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की जा रही है, इस पुस्तक में वाहन चालकों को सुरक्षित यात्रा करने के लिए इसमें दिए गए नियम सड़को के प्रकार, दुपहिया वाहन चालकों के लिए हैलमेट, दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण, रात व कोहरे के समय तथा बरसात के मौसम में वाहन चालक को क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, पुस्तिका में दिए गए नियम चीता पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशन कराया जा रहा है, इस प्रकाशन के लिए मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूँ क्योंकि यह पुस्तक वाहन चालकों के लिए अतिउत्तम साबित होगी, इसका अध्ययन करने के उपरांत सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

मैं लेखक के उज्ज्वल भविष्य कि कामना करते हुए मेरी तरफ से शुभ आशिर्वाद प्रेषित करता हूँ।

शुभेच्छ

Bal. Parik
 24/02/2020
 (बाबूलाल पारीक)



वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका




सुरेन्द्र सिंह गौड़
RES
संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा, चुरु

"संदेश"

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि लेखक ताराचन्द मीणा द्वारा "वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्गदर्शिका" पुस्तक प्रकाशित की जा रही है।

इस पुस्तक के अध्ययन से सड़क दुर्घटनाओं के कारण वाहन चालकों के लिए आवश्यक जानकारियां, विशेष मौसम में बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी मिलेगी। जिससे निश्चित रूप से यह पुस्तक पाठकों के लिए उपयोगी होगी।

लेखक ताराचन्द मीणा को पुस्तक प्रकाशन के लिए बधाई एवं शुभ कामनाएं।


(सुरेन्द्र सिंह गौड़)
संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा चुरु संभाग,
चुरु



भारत सरकार
संस्कृति मन्त्रालय
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
जयपुर मण्डल
70/133-140, पटेल मार्ग, मानसरोवर,
जयपुर (राज.)-302020
दूरभाष -0141-2396523 व 2784533-34
ईमेल circleajpur.asi@gov.in



दिनांक - 20.02.2020

सेवामें,

श्री ताराचंद मीणा
वार्ड नं.02, सत्य सागर कॉलोनी
बाई पास रोड़
श्रीमाधोपुर
सीकर, राजस्थान

विषय: 'वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्गदर्शिका' के संदर्भ में संदेश देने बाबत ।

महोदय,

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आपके द्वारा 'वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्गदर्शिका' के नाम से सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी के लिए एक पुस्तक प्रकाशित की जा रही है जिसमें वाहन चालकों के लिए सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण - सड़कों के प्रकार, दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट जरूरी क्यों, चौपहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट की अनिवार्यता, रात व कोहरे के समय वाहन चालक क्या-क्या सावधानियाँ रखें, वर्षा के समय वाहन चालकों के लिए उपयुक्त जानकारी, आदि बातें इस मार्गदर्शिका में समावेश कर जनहितार्थ आपके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है । आजकल बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह पुस्तक वाहन चालकों के लिए बहुत उपयोगी होगी तथा इसकी जानकारी से दुर्घटनाओं में अवश्य कमी आएगी ।

मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ ।

भवदीय,

(प्यारेलाल मीणा)
अधीक्षण पुरातत्वविद्
मो.7426039931

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका




किशन सहाय

आईपीएस
उप महानिरीक्षक पुलिस
सी.आई.डी. (सी.बी.)
राजस्थान, जयपुर-302015
दूरभाष: 0141-2740764 (का.)
मोबाईल: 9460928737

KISHAN SAHAI

IPS
D.I.G of Police
C.I.D. (C.B.)
Rajasthan, Jaipur 302015
Tel.:0141-2740764 (O)
Mob: 9460928737

“यातायात (ट्रेफ़िक) के नियमों की पालना करना नैतिकता की श्रेणी में आता है तथा ट्रेफ़िक नियमों को तोड़ना अपराध के साथ-साथ खुद के व दूसरों के जीवन को संकट में डालना है।”


12/2/2020
किशन सहाय (आईपीएस),
उप महानिरीक्षक पुलिस,
सीआईडी (सीबी),
राजस्थान जयपुर।

ALL INDIA PROSECUTOR'S ASSOCIATION

Office A-122 Phase 5 Om Vihar Uttam Nagar New Dehli-59
Head Quartr Meena Samaj Dharmshala Puskar Distt Ajmer Rajasthan
Registered By Govt. of NCT

दिनांक 15.8.2020

Mangal Chand Meena
National President

प्रिय ताराचन्द जी

आपके द्वारा मानव हितार्थ सड़क सुरक्षा के लिए वाहन चालकों के लिए मार्गदर्शिका नामक पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है, यह बड़े ही गर्व की बात है, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अमूल्य है, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के साथ कई जीवों के साथ अपने परिवार का रखवाला भी होता है, जैसे माता-पिता, भाई बहिन, बाल बच्चे एवं परिवार के नजीदकी सदस्यों के जीवन को बेहतर व लम्बे समय तक जीवित रखना बहुत ही जरूरी है, इसलिए जब वह स्वयं सुरक्षित रहे, तो सभी सुरक्षित रहें। जैसे आज के समय में सबसे ज्यादा खतरा वाहनों से है, हर तीसरा व्यक्ति वाहन से दुर्घटना का शिकार होता है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, तथा कई लोगों के अंग भंग हो जाते हैं। अतः आपके द्वारा दिए गए अमूल्य सुझाव लोगों की जिन्दगी बचाने में सहायक सिद्ध होंगे। आपके द्वारा सुझाए गये नियम वाहन चालकों के लिए कारगर सिद्ध होंगे।

इस प्रकाशन हेतु आपको ढेर सारी शुभकामनाएं तथा इसी के साथ आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।



Mangal Chand Meena
National President
AIPA

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

कार्यालय:- राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय लीमी

तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राजस्थान)

दिनांक 20.8.2020

परम आत्मीय तारा चन्द जी,

मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि आपके सम्पादन में पुस्तक 'वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्गदर्शिका' का प्रकाशन "चीता पब्लिकेशन" के तहत होने जा रहा है।

निश्चित रूप से आप द्वारा सम्पादित यह पुस्तक सड़क सुरक्षा के सन्दर्भ में मील का पत्थर साबित होगी तथा इस पुस्तक के अध्ययन से वाहन चालक यातायात नियमों का बेहतर पालन करते हुए सुरक्षित यात्रा करने के मामले में अधिक कुशल हो सकेंगे। बढ़ती आबादी और वाहनों के साथ इस भांति की पुस्तक की महती आवश्यकता है।

इय प्रकाशनार्थ, मैं हृदय तल से आभार एवं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।

मैं आपके आरोग्यमय जीवन की शुभाकांक्षाएं भी प्रेषित करता हूँ।



(सीताराम मीणा)

प्रधानाचार्य रा.उ.मा. विद्यालय लीमी

तहसील खानपुर जिला झालावाड़


यू०एल०छानवाल,भा.पु.से.
उप महानिरीक्षक पुलिस
कानून-व्यवस्था, राजस्थान
जयपुर



मो. 9414024200
आ. 0141-2744508
ई-मेल ul.chhanwal2907@gmail.com

संदेश

यह जानकर अति हर्ष हो रहा है कि लेखक श्री ताराचंद मीणा (चीता) द्वारा वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका पुस्तक सुरक्षा नियमों की जानकारी हेतु लिखी जाकर आम वाहन चालक को सुरक्षित यात्रा करने के लिए सड़क सुरक्षा के लिए सार्थक नियमों की जानकारी चीता पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की जा रही है, जिसमें वाहन चालकों के लिए सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण, सड़कों के प्रकार, दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट, सीट बेल्ट,की महत्ती आवश्यकता, रात व कोहरे के समय तथा बरसात के मौसम में वाहन चालक क्या-क्या सावधानी बरतें? आदि बातों का समावेश इस वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका पुस्तक में कर जनहित में संदेश भेजने का श्रम किया है। मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामएँ।


12/2/2020
(यू०एल०छानवाल)

डॉ. नरेश कुमार पारीक

M.B.B.S. (स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ)

Mob.-9829386719



शास्त्री स्कूल के सामने
बाईपास रोड, श्रीमाधोपुर

Date 25/7/2020

Rx

संदेश

प्रिय

श्री ताराचन्द मीणा,

मुझे यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपके द्वारा वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्गदर्शिका लिख कर चीता प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जा रही है। यह पुस्तिका समाज हित में बहुत ही उपयोगी साबित होगी, देखा जाता है कि प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं घट रही हैं, वो अधिकतर वाहन चालकों कि लापरवाही से हो रही है, आपके द्वारा पुस्तिका में वाहन चालकों के लिए हेलमेट, सीटबैल्ट की अनिवार्यता लिखी गई है तथा शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना, बरसात, रात व कोहरे में सावधानी से वाहन चलाना व इसी के साथ सड़कों के प्रकार और समय-समय पर वाहन चालकों को सड़क पर चलते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इनसे संबंधित विषयों पर विशेष जानकारी विवरण सहित दर्शा रखी हैं, जो वाहन चालकों के लिए अत्यन्त उपयोगी साबित होगी।

मैं ताराचन्द मीणा को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए चीता प्रकाशन को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ साथ ही इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।



N.K. Parik

दिनांक:- 17.07.2020

संदेश

सामाजिक सरोकारों से जुड़े प्रगतिशील लेखक श्री ताराचंद मीणा(चीता) द्वारा लिखित पुस्तक " वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्गदर्शिका" में बहुत ही सारगर्भित और सरल तरीके से वाहन चालकों के लिए सड़क सुरक्षा के उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर सरल एवं सुरक्षित यात्रा की जा सकती है। मार्गदर्शिका में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सड़क दुर्घटना के कारण, बचाव के उपाय, हेलमेट की उपयोगिता, सीट बेल्ट का महत्व, बारिश के मौसम, कोहरे एवं रात्रिकालीन ड्राइविंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को समझाया गया है जिस पर अमल कर सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। समय-समय पर विभिन्न मुद्दों पर जन जागरूकता अभियान चलाने वाले श्री मीणा की यह मार्गदर्शिका सभी वाहन चालकों के लिए श्रेष्ठ साबित होगी। मैं इस मार्गदर्शिका से अधिकाधिक लोगों के लाभान्वित होने की आशा करते हुए लेखक श्री ताराचंद मीणा(चीता) को धन्यवाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।



डा. मधव सिंह
 Dr. MADHAV SINGH



Not Valid For M.L.C. Purpose

Court Road, Shrimadhopur

Distt. Sikar (Raj.) 332715

Mob : 9828350088, 9414677491

E-mail : mshospitalsmpr@gmail.com

S.S. Surgical & General Hospital



Dr. Surendra Singh
MS (General Surgery)

Dr. Mumal Rathore
BPT (Physio)

21 JUL 2020

संदेश

C/o

प्रिय

श्री ताराचन्द मीणा,

यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि समाज सेवी लेखक ताराचन्द मीणा (चीता) द्वारा पुस्तक संपादित कर "वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्गदर्शिका" चीता प्रकाशन द्वारा प्रकाशन की जा रही है। जिसमें वर्तमान समय में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर न केवल कमी आयेगी बल्कि मानव का अमूल्य जीवन बचाने में सहायक सिद्ध होगी। इस पुस्तिका में विभिन्न प्रकार की जानकारियों का समावेश किया गया है, जैसे दुर्घटनाओं के कारण, सड़कों के प्रकार, सीट बेल्ट की महत्ती भूमिका, बरसात, रात व कोहरे के समय वाहन चालक क्या-क्या सावधानी रखें, इनसे संबंधित सावधानियों का विस्तृत विवरण पुस्तक द्वारा जन-जन तक पहुँचाने की कोशिश की गई है, जो अत्यन्त उपयोगी साबित होगी।

BP

D/A

मैं श्री मीणा जी व चीता प्रकाशन को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ तथा धन्यवाद देते हुए इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।



(Dr. Surendra Singh)
(डॉ. सुरेन्द्र सिंह बेरवात)

Add. : Mangal Colony, Station Road, Shrimadhapur, Sikar (Raj.) 332715
Confirm Availability Before Coming on : 01575-251757 between 6 am to 9 pm.

Not Valid for MLC



लेखक ताराचंद मीणा (चीता) ने प्रतिवर्ष देश में वाहन दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए "वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका" नामक पुस्तिका लिखकर मानव समाज को समर्पित करके अनुपम, प्रशंसनीय और अकल्पनीय कार्य किया है। जिससे निश्चित रूप से वाहन दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का सिलसिला रुकेगा और मानव समाज के चेहरे पर मुस्कान बरकरार रहेगी।

अतः मैं लेखक ताराचंद मीणा (चीता) के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ साधुवाद प्रेषित करता हूँ कि निश्चित रूप से इनका अनुकरणीय कदम प्रतिदिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के ग्राफ को निम्नतम स्तर तक पहुँचायेगा।

दिनांक 10/3/2020

(शिवकुमार वर्मा, व.अ., कंचनपुर)

कार्यालय सचिव

1 मानवतावादी विश्व सेवा परिषद् संस्थान
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

हिमांशु विला, राजीव कॉलोनी, वार्ड
संख्या -6 श्रीमाधोपुर सीकर
राजस्थान | 9413162301

सन्देश



प्रिय श्री मीणा जी,

यह जानकर मुझे अति प्रसन्नता हुई कि आप द्वारा लिखित पुस्तक "वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्गदर्शिका" का प्रकाशन किया जा रहा है। इस पुस्तक में आम वाहन चालक को सुरक्षित यात्रा करने के लिए सड़क सुरक्षा के सार्थक नियमों की जानकारी आप द्वारा लेखबद्ध करके चीता पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया जाना सार्थक प्रयास है। मैंने आद्योपान्त पुस्तक की सामग्री का पठन एवं अवलोकन किया तो पाया कि पुस्तक में दुपहिया, चौपहिया एवं मालवाहक वाहनों के चालकों के लिए सुगमता से समझने वाले कानूनी नियमों का सरलीकरण उनके व आमयात्री एवं माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अप्रतिम प्रयास किया गया है। श्री मीणा जी ने अब तक विविध क्षेत्रों की एक दर्जन से अधिक पुस्तकों का लेखन व प्रकाशन किया है जो राजकीय सेवा में रहते एक श्रमसाध्य कार्य है।

यह पुस्तक वाहन चालकों के लिए एक "मील का पत्थर" साबित होगी, ऐसी मेरी अभिलाषा है।

मैं लेखक को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

शुभेच्छु

(राजेन्द कुमार शर्मा)

अधिवक्ता एवं पत्रकार

श्रीमाधोपुर।

4. सड़क क्या है

सड़क पृथ्वी का वह भाग है जिसे मोटर युक्त एवं गैर मोटर युक्त वाहनों एवं पैदल चलने वाले यात्रियों की सुविधा पूर्वक आवागमन के लिए सरकार या किसी एन.जी.ओ. द्वारा आम नागरिक की सुविधा के लिए विकसित की जाती है। जिसमें देश के नागरिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सुगमता महसूस करें तथा भूमि पर बनाए गये मार्ग जिसको समतल बनाकर या अन्य किसी तरीके से विकसित करके उस पर वाहनों के जरिए आवागमन में आसानी कर दी जाए। वर्तमान में वाहनों को सुगमता पूर्वक चलाने के लिए टूटे पत्थरों, कंकरीट के ऊपर तारकोल या सीमेन्ट के द्वारा पक्की बनाकर आम नागरिक के लिए सुगमता प्रदान करना सड़क की श्रेणी में आता है, तथा मानव जीवन में सड़क महत्त्वपूर्ण पार्ट है, सड़क के बिना मानव का जीवन अधुरा है, जिस तरह से शरीर का कोई अंग किसी बीमारी से पीड़ित हो जाये तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह यदि आपके आवागमन के रास्ते में सड़क कहीं से टूट जाये या खराब हो जावे तो उस वाहन चालक को पता है कि वह अपने वाहन को किस तरह चलाकर अपना सफर तय करता है, इसलिए सड़क को सुरक्षित रखने के लिए अपने गाँव, शहर, जिला में प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व बनता है कि वह अपने स्तर पर सड़क सुरक्षा संगठन बनाये।

5. सड़क की परिभाषा

भूमि पर यातायात के लिए प्रयुक्त मार्ग अपेक्षाकृत थोड़ा चौड़ा होता है जो कच्चा-पक्का दोनों ही तरह का हो सकता है जो सामान्यतः विभिन्न तरह काम में लिया जाए जिसमें यात्रियों, माल, ढुलाई तथा मानव सहित पशुओं व विभिन्न वाहनों के संचालन में उपयोग में ली जावें। वह सड़क कहलाती है।

6. सड़क निर्माण का इतिहास

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

1. संसार में सड़कों की शुरुआत मेकाडम(मेकेट्म) के द्वारा मानी जाती है इसलिए सड़कों के विकास को मेकाडिमज्म भी कहते हैं।
2. वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार सड़क निर्माण का आविष्कार करने वालों में स्कॉटलैण्ड निवासी ट्रांस टैलफोंड(1759–1863) और जान लाउडन मेक एडम या मेकेट्म(1756–1863)के नाम से प्रसिद्ध हैं।
3. टेलफोर्ड के अनुसार बड़े-बड़े पत्थरों द्वारा सड़कों की नींव भरी जाती है उनके ऊपर छोटे-छोटे पत्थर बिछाए जाते हैं। फिर पत्थरों के अत्यंत बारीक टुकड़ों द्वारा उसकी ऊपरी सतह बनाई जाती है।
4. बेंथम का कथन है कि सड़के किसी देश की नदियां और नसे हैं जिनसे उस देश का विकास प्रभावित होता है।

7. ग्रांट ट्रंक रोड़ क्या है

ग्रांट ट्रंक रोड़ बहुत पुरानी है प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ कहा जाता था ये गंगा नदी के किनारे बसे नगरों को पंजाब से जोड़ते हुए खैबर दर्रा पार करती हुई अफगानिस्तान के केन्द्र तक जाती थी। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रसार इसी उत्तरापथ के माध्यम से गंधार तक फैला हुआ था। वैसे इतिहास के हिसाब से यह मार्ग सदियों से इस्तेमाल होता रहा है लेकिन सौलहवी शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने सन् 1540–1545 में इसे पक्का करवाया तथा दूरी नापने के लिए जगह-जगह पत्थर लगवाए, छांयादार पेड़ लगवाए, राहगीरों के लिए सरायें(धर्मशाला) बनवाई उसी के साथ आय के रूप में चूंगी(रोड़ टैक्स) नाके लगाये तथा इसका विस्तार कोलकाता से पेशावर (पाकिस्तान) तक किया। यह रोड़ दक्षिण एशिया के सबसे पुराने एवं सबसे लम्बे मार्गों में से एक था। यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारम्भ होकर लाहौर(पाकिस्तान) से होते हुए काबुल(अफगानिस्तान) तक जाता था। सड़क का काफी हिस्सा ब्रिटिश सरकार द्वारा सन् 1833–1860 के बीच में उन्नत किया गया इसके अस्तित्व

के समय लम्बाई लगभग 2500 किमी थी।

8. सड़कों के प्रकार

नागपुर सड़क योजना 1943 के अनुसार प्रदेश में प्रकार की सड़के हैं।

1. राष्ट्रीय राजमार्ग

2. राज्य मार्ग

3. स्थानीय या जिला सड़कें

4. ग्रामीण सड़कें

1. **राष्ट्रीय राजमार्ग**— भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग, देश की केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित और सम्भाले जानी वाली लंबी दूरी की सड़के हैं। मुख्यतः यह सड़के 2 पंक्तियों की होती है। प्रत्येक दिशा में जाने के लिए एक पंक्ति होती है। भारत के राजमार्ग की कुल दूरी लगभग 122434 किमी है। यह सड़कें देश की महत्वपूर्ण सड़के होती है ये देश के राज्यों को आपस में जोड़ती हैं इनके रख रखाव का जिम्मा भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन होता है, जो इसके बनाने के उपरान्त समय-समय पर देख रेख करता रहता है।

2. **राज्य मार्ग** :— किसी ऐसी सड़क या अन्य सार्वजनिक मार्ग को कहते हैं जो थल यातायात के लिए महत्वपूर्ण माना जाए, यह अक्सर अन्य सड़कों की तुलना में अधिक चौड़े या अन्य साधनों वाले होते हैं और महत्वपूर्ण स्थान को जोड़ते हैं, तथा राज्य की महत्वपूर्ण आवागमन की सड़के होती है। ये राज्यों के शहरों एवं जिलों को आपस में जोड़ती है इनका रख रखाव का जिम्मा राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है।

3. **जिलों की सड़के**— जिला मुख्यालय को जिले के अन्य भागों से जोड़ने

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

वाली सड़कों को जिला मार्ग कहते हैं। इन सड़कों की देखभाल का जिम्मा जिला परिषदों का होता है।

4. ग्रामीण सड़के :- यह सड़के गांवों को आपस में तथा निकटतम जिले से जिले को जोड़ती हैं ये पंचायतों द्वारा जिला परिषद व राज्य सरकार की मदद से बनवाई जाती है। 30 जनवरी 2019 के आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लम्बाई 33 लाख किलोमीटर है तथा देश में ग्रामीण सड़के लगभग 2650000 किमी है। राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की लम्बाई 163320.54 किमी है। राजस्थान में 30 जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार 38 राष्ट्रीय राजमार्ग तथा उच्च राजमार्ग है जिनकी कुल लम्बाई 8016 किमी है। राजस्थान में 73 राज्य मार्ग हैं जिनकी लम्बाई 11421.52 किलोमीटर है राजस्थान का सबसे लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग 15 है जिसकी लम्बाई 874 किमी है तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71बी है जिसकी लम्बाई 05 किमी है। सर्वाधिक सड़कों से जुड़े गाँव श्रीगंगानगर जिले में है और सबसे न्यूनतम ग्राम सिरोही जिले में है सड़कों से जुड़े सर्वाधिक पंचायत मुख्यालय वाला जिला जयपुर और सड़कों से न्यूनतम पंचायत वाला जिला जैसलमेर है।

9. वाहन चालकों के लिए नियमों की जानकारी

देश के सभी राज्यों की पुलिस के द्वारा समय-समय पर सड़क सुरक्षा अभियान में यात्रियों को गन्तव्य तक पहुँचाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाता है। आप सभी भी इस महाकुम्भ में अपना योगदान दे कर इस पहल में शामिल हो सकते हैं। यदि आपके प्रयास से किसी का घर उजड़ने से बच जावे, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए आइये इस महाअभियान में शामिल होकर देश के सभी वाहन चालकों को इन नियमों की जानकारी से अवगत करावें।

1. सड़क पर वाहन चालक वाहन चलाते समय किसी भी हालत में अपने मोबाईल पर बात नहीं करें। आपका जीवन अनमोल है। इसे बचाये।
2. वाहन चालक अपनी गाड़ी/वाहन में लगे गति मात्र/घड़ी पर नजर रखें कि मीटर घड़ी में लगी हुई सुई जो पीली लाईन को तो क्रॉस नहीं कर रही है यानिकी आप यातायात नियमों से अधिक रफ्तार से वाहन तो नहीं चला रहे हैं। यदि आप सुरक्षित तो आपका परिवार सुरक्षित हैं।
3. वाहन चालक सीट बेल्ट जरूर लगाएँ यदि आप सीट बेल्ट से जुड़े रहे तो आपका परिवार व दोस्त आपसे जुड़े रहेंगे।
4. दुर्घटना मुक्त, बाधा युक्त और आराम दायक यात्रा के लिए वाहन को निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप रखें।
5. वाहन चालक गाड़ी चलाते समय सभी नियमों/कानूनों का पालन करे और सफल यात्रा का आनन्द उठाये।
6. वाहन चालक को सड़क पर वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी संकेतों की जानकारी होना अतिआवश्यक है। जिससे अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने में कोई कठिनाई महसूस न हो।

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

7. वाहन चालक को वाहन चलाते समय अपने वाहन से दिशा सूचक संकेत समय-समय पर देते रहना चाहिए, जिससे किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।
8. वाहन चालक वाहन चलाते समय वाहन में बैठे किसी भी व्यक्ति से कोई बातचीत नहीं करे। क्योंकि वाहन चालक ने एक क्षण भी इधर-उधर देखा और सड़क से नजर हटी तो सीधे ही आप सहित सभी यात्रियों को जीवन के अन्तिम मार्ग की ओर ले जा सकते हैं।
9. वाहन चलाते समय मोबाईल पर व्यर्थ की बात न करें क्यों कि प्रकृति ने दिमाग एक ही दिया है। जिसको आप एक समय में एक जगह ही उपयोग में ले सकते हैं।
10. दुपहिया वाहन चालक सुबह घर से निकले तब अपने माता-पिता व पत्नी की शुभकामनाओं के रूप में हेलमेट को सिर पर रखते हुए अपने घर से प्रस्थान करें।
11. वाहन चालक को यथासंभव सड़क पर वाहन चलाते समय अपने से दायीं लाईन खाली छोड़नी चाहिए जिससे तेज रफ्तार वाहन चालक अपना वाहन ओवरटेक करने में आसानी महसूस कर सकें।
12. वाहन चालक, ओवरटेक करते समय आगे वाले वाहन को ध्यान में रखते हुए अपने वाहन को गति से आगे बढ़ाये जिससे आगे वाला वाहन चालक अपने शीशे में देखते हुए सचेत रह सके व अपने वाहन की गति सीमित रख सकें।
13. दुपहिया वाहन चालक अपनी यात्रा शुरू करने से पहले हेलमेट को सम्भाले और उसके साथ अपनी सुखद यात्रा आरंभ करें। हेलमेट को सिर पर पहनने की आदत को जीवन में डाले। यदि सिर सुरक्षित तो आपका परिवार सुरक्षित है।

14. सभी वाहन चालकों को पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर का प्रयोग करना अतिआवश्यक है।
15. वाहन चालक को आगे व पीछे के टायरों की हवा मापदंड के अनुसार रखनी चाहिए।
16. आप का जीवन आपके परिवार के लिए अनमोल है, इसे दुर्घटना से बचाये रखें।
17. आप अपने घर के ताज है, इस जीवन को आप बचाये रखे, जिससे आपका घर बिखरने से बच सके।
18. जिस वाहन चालक ने अपनी यात्रा को जीवन समझा उसने अपने आपका महत्व समझा।
19. वो, है, सच्ची नारी, जिसने अपने भाई , पति और पुत्र को दी सड़क सुरक्षा की जानकारी।
- 20 वाहन चालक को सड़क पर पैदल चलने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर वाहन चलाना चाहिए। अधिकतर पैदल यात्रियों के साथ दुर्घटना होने की प्रबल संभावना रहती है।
- 21 वाहन चालक को सुरक्षित यात्रा करने के लिए सीट बेल्ट को आवश्यक रूप से प्रयोग करना चाहिए। जिससे सुरक्षित घर पहुँच सकेंगे।
- 22 वाहन चालक वाहन चलाते समय शराब का उपयोग किसी भी दशा/सुरत में नहीं करे। नशा दिमाग को भ्रमित करता है।
- 23 वाहन चालक अपने वाहन को दूसरे वाहन से निर्धारित मापदण्ड के अनुसार रखें। जिससे अचानक वाहन के रूकने पर वाहन एक दूसरे से नहीं टकरा सके।

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

- 24 वाहन चालक को अपने वाहन की गति सीमा इतनी ही रखनी चाहिए कि अचानक किसी अवरोध के आ जाने से वाहन को नियंत्रित किया जा सके।
- 25 वाहन चालकों को समय-समय पर अपनी आंखों की जांच कराते रहना चाहिए, जिससे दुर्घटना के आंकड़ों में कमी आयेगी।
- 26 वाहन चालक को यातायात नियमों की सम्पूर्ण जानकारी रखना अतिआवश्यक है।
- 27 वाहन चालक को यातायात पुलिस अधिकारी के इशारे का पालन करना चाहिए।
- 28 वाहन चालक अपना ध्यान सीधा सड़क पर रखें यदि कोई बुजुर्ग सड़क पार कर रहा है तो अपना वाहन रोक कर उसको सड़क पार करायें
- 29 पैदल यात्री सड़क पार करते समय अपने दायें बायें आने जाने वाले वाहनों को ध्यान से देखकर ही सड़क को पार करें।
- 30 पैदल यात्री सड़क पर सड़क सुरक्षा के सुरक्षा चिन्हों को देखकर सड़क पार करें।
- 31 वाहन चालक प्रत्येक दिन को अपने जीवन का प्राकृतिक उपहार समझे।
- 32 प्रत्येक वाहन चालक को स्पीड ब्रेकर के ऊपर से वाहन गुजराने से पूर्व वाहन की गति धीमी कर लें।
- 33 वाहन की प्रतिक्रिया ब्रेक लगाने की दूरी वह दूरी है जो वाहन चालक अपना खतरा महसूस करता है तो ब्रेक प्रारंभ करने से पहले दोनों वाहनों की बीच की दूरी निश्चित करे कि वाहन रूकते-रूकते आपस में टकरा

न जाये।

- 34 वाहन चालक को दुर्घटना ब्रेक लगाने का जो समय मिल पाता है वह मात्र 0.6 से एक सेकण्ड का ही होता है जो वाहन चालक की बौद्धिक, मानसिक , शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है कि वह अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करता है। कुल मिलाकर यह वाहन चालक के चौकन्ने पन्न पर निर्भर करता है।
- 35 वाहन चालक को अपने वाहन की तात्कालिक खराबी को दूर करने के लिए टूल बॉक्स में वाहन संबंधित सभी प्रकार के औजार रखने चाहिए।
- 36 वाहन चालक अपने वाहन के पहियों में हवा का दबाव समय-समय पर चैक करते रहना चाहिए, कम दबाव अधिक, टायरों में हवा होगी तो टायर व ट्यूब कटने-फटने का डर बना रहेगा, इसलिए समय -समय पर इनकी जाँच कराते रहना चाहिए।
- 37 वाहन को उपयोग में लेने से पहले उसके ईंधन की जांच कर लेनी चाहिए कि उसमें आपके गन्तव्य तक पुहँचाने का ईंधन है या नहीं है।
- 38 वाहन चालक अपने वाहन के ब्रेक सदैव उसमें बैठते ही चैक कर लेने चाहिए। असली जान तो ब्रेक में ही है।

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

- 39 वाहन चालक को अपने वाहन का हॉर्न बिल्कुल ठीक अवस्था में होना चाहिए। गाड़ी को ओवरटैक करने में गाड़ी का हॉर्न ही काम आयेगा।
- 40 वाहन चालक अपने वाहन का स्टीयरिंग बहुत ही अच्छी दशा में और सही काम करने वाला होना चाहिए।
- 41 प्रत्येक वाहन चालक अपने वाहन के साइलेंसर की ठीक हालात में रखें।
- 42 वाहन चालक अपने वाहन के आगे-पीछे निर्धारित नियमों के तहत वर्तमान यातायात नियमों के तहत नम्बर प्लेट का उपयोग करें।
- 43 वाहन चालक सड़क पर वाहन चलाते समय अपनी नजर सामने सड़क पर कम से कम 200 फीट की दूरी पर रखे जिससे रोड़ पार करते हुए किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।
- 44 वाहन चालक को ध्यान रखना चाहिए कि रोड़ पर मोड़ आने पर गाड़ी की गति धीमी करके चलाना है
- 45 वाहन चालक ध्यान रखें कि कई बैरिकेडिंग पर रेडियम नहीं लगे रहते हैं यदि आपने सुरक्षित वाहन ड्राइव नहीं किया तो टकरा सकते हैं।
- 46 वाहन चालक सड़क को अपनी जिन्दगी समझकर यात्रा करेंगे, तो पूरा जीवन सुखद यात्रा कर पायेंगे।
- 47 वाहन चालक वाहन चलाते समय वाहन की रफ्तार सहज रखे,जिससे उसे काबू करने व रोकने में आसनी हो सके। यदि वाहन की गति वाहन चालक नियमों के तहत रखेगा तो कभी भी अप्रिय घटना का शिकार नहीं होगा। जैसे खाना खाते समय आराम से खाया जाना चाहिए, जिसमे पाचन क्रिया अच्छी बनी रहती है। उसी तरह अपने वाहन को निश्चित नियमों में चलायेंगे तो आप सुरक्षित यात्रा कर पायेंगे।

- 48 वाहन चालक अपने वाहन का हॉर्न इस प्रकार का लगाये जिससे हॉर्न बजाने पर वाहन की सही पहचान हो जाये और आगे चलने वाला वाहन चालक सतर्क होकर आप को साइड दे सके।
- 49 वाहन चालक रात्रि के समय डीपर का प्रयोग करें, जिससे पीछे से आने वाले वाहन चालक अपनी यात्रा सुगमता से कर सके।
- 50 प्रत्येक वाहन चालक अपने वाहन के पीछे रिफ्लेक्टर जरूर लगाए, रात के समय यही आप की सुरक्षित यात्रा करने में साधक रहेगा, यदि आपका रिफ्लेक्टर रेडियम में अच्छी क्वालिटी का होगा, तो पीछे से आने वाले वाहन को आपकी गाड़ी दूर से ही दिखाई दे देगी और आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं भुगतनी पड़ेगी।
- 51 वाहन चालक ईंधन की बचत के लिए वाहन की गति सामान्य रखे, जिससे आप डीजल/पेट्रोल की बचत कर सके।
- 52 वाहन चालक अपने वाहन की सामने की लाइटों को आधा काला रखें जिसमें सामने वाले वाहन चालक को गाड़ी चलाने में असुविधा न हो।
- 53 वाहन चालक को गाड़ी से संबंधित समस्त दस्तावेज अपने पास हमेशा साथ रखने चाहिए।
- 54 नर सेवा, नारायण सेवा उपदेश के अनुरूप सड़क दुर्घटना में पीड़ित की मदद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।
- 55 दुपहिया वाहन चालक वाहन चलाते समय शारीरिक स्थिति सही रखें।
- 56 टू-व्हीलर चालक अपने साथ एक सवारी से अधिक व्यक्तियों को अपने साथ न बैठाये।

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

- 57 टू-व्हीलर चालक अपने साथ गाड़ी के सभी कागजात रखे जिसमें उसे पुलिस जाँच के दौरान परेशानी नहीं उठानी पड़े।
- 58 दुपहिया वाहन पर पीछे की सीट पर महिला सवारी कर रही है तो वह अपने कपड़ों को समेटकर अच्छी तरह से वाहन पर बैठे जिससे कपड़े वाहन के किसी पूर्जे में फंसकर दुर्घटना को आमंत्रण न दे।
- 59 टू-व्हीलर पर पीछे की सवारी के लिए पैर रखने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- 60 दुपहिया वाहन की सीट पर बैठने वाली दूसरी सवारी इस तरह बैठे कि चालक को वाहन चलाने में कोई कठिनाई महसूस न हो तथा एक साइड में बैठने वाली यात्री को चालक का अवलम्बन लेना आवश्यक है।
- 61 दुपहिया वाहन चालक अपने सिर को सुरक्षित रखने के लिए अपने सिर पर उत्तम क्वालिटी का हेलमेट अवश्य पहने जिसमें वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर सिर सलामत रह सके।
- 62 वाहन चालक वाहन चलाते समय धूल या किसी अन्य वस्तु की रोकथाम के लिए अपनी आंखों पर विंडस्क्रीन का उपयोग करें जिसमें धूल के कणों से बचा जा सके।
- 63 वाहन चालक खराब सड़क को दूरी से देखकर उसी के अनुरूप वाहन का संचालन करें।
- 64 वाहन चालक रोड़ के जिगजेग राइट और लैफ्ट बिन्दु को अपनी नजर से ध्यान में रखते हुए वाहन को चलाये।
- 65 वाहन चालक सड़क का क्रॉस चिन्ह पचास मीटर की दूरी से ही देख लें।
- 66 वाहन चालक रोड़ का स्टीपहिल चिन्ह का ध्यान रखें।

- 67 वाहन चालक रोड़ का हेयरपिन बैण्ड लैफ्ट पर अपनी पैनी नजर रखें।
- 68 वाहन चालक सड़क के फ़ैरी चिन्ह का ध्यान रखें।
- 69 वाहन चालक को मानव रहित रेल्वे क्रॉसिंग पार करते समय पूरी तरह से सर्तक होकर रेल्वे क्रॉसिंग को पार करे, घुमाव पर रेल दिखाई नहीं देती है। तथा ऐसी सड़क दुर्घटना मानव रहित रेल्वे क्रॉसिंग पर होती हैं।
- 70 वाहन चालक अपने वाहन को राइट और लैफ्ट टर्न लेता है तो पूरा लम्बा इंडिकेटर देकर रोड़ पर टर्न लें।
- 71 सड़क के मोड़ पर वाहन की रफ्तार न्यूनतम कर लेनी चाहिए अन्यथा वाहन के फिसलने का भय बना रहता है।
- 72 वाहन को ढलान में लाते समय सदैव गियर में रखना चाहिए जिससे गाड़ी आपके हाथों में बन्धी रहे।
- 73 वाहन के रफ्तार में होने पर आपको उसमें गियर नहीं बदलने चाहिए।
- 74 वाहन चालक जिस चौराहा को पार करता है वहाँ पीली रेखा का पुर्णतया पालन करें।
- 75 वाहन चालक अपनी गाड़ी को सड़क के बीच में रोक कर कभी भी खड़ा नहीं हो, इससे अन्य वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है।
- 76 सेवारत वाहन चालक अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले यह सोचकर जाये कि मुझे गाड़ी नियमों के तहत चलानी है चाहे कोई भी सवारी जल्दी करने के लिए कहे।

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

- 77 वाहन चालक अपनी नजर एक बाज पक्षी की तरह रखे , जिससे सड़क को पार करने वाले राहगीरों, खासतौर पर बुजुर्गों, महिलाओं बच्चों, विकलांगों और सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं इन सभी का ध्यान रखते हुए अपने वाहन को निश्चित दिशा देते हुए चलाये।
- 78 वाहन चालक ऐसे वाहनों को आगे निकलने के लिए जगह दे जो आर्मी, एम्बुलेंस, फायरब्रिगेड तथा देश के अतिविशिष्ट व्यक्तियों में से कोई हो।
- 79 वाहन चालक अपने वाहन को अपने समान संजीव समझकर उसका परिचालन करे जिससे वाहन की उम्र लम्बी हो सके।
- 80 वाहन चालक यदि वाहन की फिटनेस सही रखेगा तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा।
- 81 वाहन चालक हमेशा ध्यान रखें कि सार्वजनिक स्थानों जैसे विद्यालय, सरकारी कार्यालयों ,अस्पताल , निषेधित क्षेत्र आदि में हॉर्न का उपयोग धीमी आवाज में करे।
- 82 वाहन चालक अपने वाहन का पावर स्टीयरिंग ऑयल का स्तर जांच लें।
- 83 वाहन चालक बैटरी इलेक्ट्रोसाइट स्तर की जांच कर लें।
- 84 वाहन चालक अपनी सीट को चैक करे कि वह एडजस्ट है या नहीं यदि सही स्थिति में नहीं है तो उसको ठीक करें।
- 85 वाहन चालक गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील चैक करें व उसको एडजस्ट करें
- 86 वाहन चालक अपने वाहन के ब्रेक पैडल की सूक्ष्म विधि से जांच कर ले कि कहीं पैडल खराब तो नहीं है।

- 87 वाहन चालक अपने वाहन का क्लच पैडल अच्छी तरह देख ले कि यह काम कर रहा है या नहीं
- 88 वाहन चालक अपने वाहन की चेतावनी बल्लियां एवं उनका गेज चैक कर लें कि कोई खराब तो नहीं है।
- 89 वाहन चालक अपने वाहन का हॉर्न चैक करके देख लें कि वह कहीं ध्वनि प्रदूषण तो नहीं फैला रहा है।
- 90 वाहन चालक वाहन के दरवाजे, तालों की लॉकिंग और अनलॉक की परख अच्छी तरह से कर लें।
- 91 वाहन चालक वाहन के टायर एयर प्रेशर की सन्तुष्टि भर जाँच करें।
- 92 वाहन चालक अपने वाहन की चैसिस कमानियां जांचे कि वे सही कार्य कर रही हैं या नहीं
- 93 वाहन चालक अपने वाहन की समय-समय पर हवा की टंकी, वाटर सेप्टर की जांच करता रहे।
- 94 वाहन चालक अपने वाहन की बारीकियों से जांच करे कि कहीं ईंधन तेल और पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा है।
- 95 वाहन चालक अपने वाहन की पंजियन नम्बर प्लेट समय-समय पर जाँच करता रहे, जिससे उसको कहीं कोई परेशानी नहीं उठानी पड़े।

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

- 96 वाहन चालक वर्षा के मौसम में अपने वाहन को ऊँचाई व ढलान पर चलाते समय वाहन की गति समुचित रखें।
- 97 वाहन चालक यू-टर्न लेते समय वाहन की गति को अपने कन्ट्रोल में रखें।
- 98 वाहन चालक को जब नींद सताने लग जाए तो अपने वाहन को सड़क से दूर दिशा में ले जाकर जहाँ पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो। वहाँ गाड़ी को ले जाकर आराम के साथ पार्क करें और नींद का आनंद उठाये, जब नींद पूरी हो जाये तब अपने सफर की शुरुआत करें।
- 99 वाहन चालक किसी भी उदासीनता की दशा व परिस्थिति में गाड़ी ड्राइविंग न करें।
- 100 वाहन चालक ईंधन बचाने के लिए तथा साथ ही वाहन को थोड़ा ठंडा करने के लिए इंजन को बन्द कर देते हैं, तथा न्यूट्रल में डाल देते हैं यदि वाहन चालक ऐसा करता है तो अपने आप को जोखिम में डालने के पक्ष में हैं इससे गाड़ी कन्ट्रोल से बाहर हो सकती है।
- 101 वाहन चालक यदि चढ़ाई वाले रास्ते पर चलने के लिए जा रहे हैं तो उस क्षेत्र की जानकारी पहले ही कर लें, कि रास्ते में क्या परेशानी आ सकती है इससे आपको चढ़ाई चढ़ने में कोई तकलीफ तो नहीं होने वाली है।
- 102 वाहन चालक के सामने से भार लदी हुई गाड़ियां आ रही हैं तो उस भार वाहक वाहन को पहले रास्ता देवें, क्योंकि ऐसे वाहन सड़क से उतर सकते हैं जिसमें दुर्घटना होने की संभावना रहती है।
- 103 वाहन चालक सभी मोड़ों पर हॉर्न का प्रयोग अवश्य करें।
- 104 वाहन चालक मोड़ों पर व अधिक चढ़ाई वाले मार्गों पर गलती से भी ओवरटेक नहीं करें यदि ऐसा करता है तो जीवन के साथ खिलवाड़

करने के बराबर है।

- 105 वाहन चालक रात के समय प्रत्येक मोड़ पर अपने वाहन के डिपर का प्रयोग करें तथा अपनी लाइटों को ऊँची-नीची करें और सामने से आ रहे वाहन को अपनी हेडलाइट नीची करके पास करें।
- 106 वाहन चालक अपने वाहन को पहाड़ी इलाकों की सड़क पर खड़ा करता है तो हैण्डब्रेक का प्रयोग अवश्य करें।
- 107 वाहन चालक गाड़ी पार्क करते ही अपने वाहन के टायरों के लकड़ी का गुटका अवश्य लगा दें जिससे गाड़ी आगे-पीछे न किसके और वाहन सुरक्षित पार्क हो सके।
- 108 वाहन चालक को अपने आप में सोचना है कि कोई भी नियम कानून वाहन चालक को सड़क पर चलने के लिए सम्पूर्ण अधिकार नहीं देता है।
- 109 वाहन चालक को समझना चाहिए कि सड़क व आम रास्ते के अधिकार ऐसे कानून हैं जो अपने आपको शालीनता में रखकर प्राप्त किए जा सकते हैं जैसे सामने वाला वाहन चालक नियम कानूनों का पालन नहीं कर रहा है तो आप उसको रास्ता दें। उस रास्ते पर वाहन पास करने का हक आपका ही पहले क्यों न हो, यदि ऐसे विचार से आप सड़क पर चलेंगे तो शान्ति के साथ शाम को घर पर हंसी खुशी से लौटेंगे। क्योंकि रोड़ पर दिनभर बहुत से सिरफिरे घूमते रहते हैं।
- 110 वाहन चालक जब आप दाएं या बाएं मुड़ रहें हो तो सीधी जा रही गाड़ियों को रास्ता दें जिसमें आप सही राह चल सके।
- 111 वाहन चालक किसी भी इमारत चाहे प्राइवेट हो (घर, ऑफिस, होटल , थियेटर) या किसी दूसरी छोटी सड़क से बाहर निकलते हुए थोड़ा रूककर ही किसी फुटपाथ को पार करें या मैन रोड़ में प्रवेश

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका करें।

- 112 वाहन चालक सामने से आने वाले वाहन या पैदल चल रहे लोगों को पहले सड़क पार करने दें, जिससे जिन्दगी का सफर अच्छा तय हो सके।
- 113 वाहन चालक इस बात का ध्यान रखे कि गोल चक्कर पर ऐसा वाहन जो पहले ही गोल चक्कर में आया हुआ हो उसको पहले पार होने दें जिससे आप दोनों का सफर सुविधाजनक हो सके।
- 114 वाहन चालक इस बात का ध्यान रखें कि गोल चक्कर में दाएं चल रहें वाहन को पहले रास्ता देवें जिससे आपको रोड़ पार करने में कठिनाई महसूस नहीं हों।
- 115 वाहन चालक रोडलाइट पर इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ बत्ती जलती-बुझती है। वहाँ पर वाहन को बिल्कुल धीमी गति से चलाकर चारों तरफ से रास्ते को देखें और उसके बाद ही अपने वाहन को आगे बढ़ाये, जिससे दुर्घटना होने की संभावना कम रहे।
- 116 वाहन चालक अपनी गाड़ी को पानी वाले इलाकों में ले जाये तो इस बात का ध्यान रखे कि गाड़ी को सड़क के बीच में ही चलाये।
- 117 वाहन चालक सड़क के किनारे पानी का ध्यान रखें कि पानी की गहराई कितनी है देखा जाता है कि पानी गंदा होने के कारण चालक को खड्डे दिखाई नहीं देते हैं। जिससे दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है।
- 118 वाहन चालक अपनी गाड़ी को सड़क पर पार्क करें तो टायरों को कीचड़ से बचाते हुए सड़क के बायें हिस्से में खड़ी करे हो सके जब तक अपने वाहन को पक्की सड़क से न उतारे।

- 119 वाहन चालक इस बात का ध्यान रखें कि यदि सड़क पर फिसलन हो रही है। तथा गाड़ी के फिसलने का डर बना रहता है, तो वाहन को धीरे-धीरे आगे बढ़ाये जिससे वाहन चालक सहित सभी यात्री अपने गन्तव्य स्थान पर सकुशलता से पहुँच सकें।
- 120 वाहन चालक शहरी इलाकों में गाड़ी ड्राविंग कर रहा है तो इस बात का ध्यान रखे कि सड़क पर खुले या खराब सीवर लाईन के जोड़ों पर खुले या टूटे ढक्कन से सावधानी बरते।
- 121 वाहन चालक कभी भी किसी पानी में डूबे हुए पूल को पार न करें, बरसात के कारण पुल टूटा हो सकता है।
- 122 वाहन चालक अपने वाहन की गति धीमी रखे जैसे अचानक धुंध अधिक हो जावे तो गाड़ी को आसानी से रोका जा सके।
- 123 वाहन चालक सर्दी के मौसम में धुंध के दौरान गाड़ी ड्राविंग करने में पूर्णतः सावधानी बरतें।
- 124 वाहन चालक को वाहन चलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धुंध के कारण सामने साफ दिखाई नहीं देता है, इसलिए वाहन की हेडलाइट या फाग लाईट को जलाकर रखें जिससे सामने से आने वाले वाहन चालक आपकी गाड़ी को साफ देख सकें और दोनों वाहन चालक दुर्घटना से बच सकें।
- 125 वाहन चालक अपने वाहन के विंड स्क्रीन को वाइपर चलाकर गाड़ी के दोनों ओर के शीशों को न्यूजपेपर के द्वारा हो सके जितनी बार साफ करते रहें।
- 126 वाहन चालक अपने से आगे चल रहे वाहन की लाइटों का सहयोग लेकर उसके नजदीक होकर न चले अक्षर देखा गया है कि आगे वाले वाहन चालक की वजह से गाड़ियां टकरा जाती है। वाहन चालक

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

अपनी ड्राइविंग अपने हिसाब से करें दूसरे का सहारा हमेशा खतरनाक साबित होता है।

- 127 वाहन चालक इस बात का विशेष ध्यान रखे कि धुंध के मौसम में हो सके जब तक रात के समय गाड़ी न चलाये यदि किसी जरूरी कार्यवश कहीं जाना पड़े तो अपनी यात्रा का समय बढ़ाकर चलें।
- 128 वाहन चालक अपने वाहन की गति धीमी करके चले, धुंध की वजह से गाड़ी की तेज गति का पता नहीं चल पाता है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है।
- 129 वाहन चालक को धुंध के आवागमन के बीच अपने वाहन की गति नियंत्रित रखनी चाहिए जिससे वाहन के दुर्घटना ग्रस्त होने का खतरा कम हो सके।
- 130 वाहन चालक धुंध के मौसम में सड़क पर चलते समय इस बात का ध्यान रखें कि पीछे से आने वाले वाहन की वजह से अपनी गाड़ी की गति तेज न करें तथा गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने से पहले आगे पीछे का ध्यान रखे।
- 131 वाहन चालक इस बात का ध्यान रखें कि पीछे से आती हुई गाड़ियों को देखकर अपनी गाड़ी की स्पीड तेज न बढ़ायें।
- 132 वाहन चालक अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे पर खड़ी करते समय वाहन के आगे वाले टायरों को एकदम सड़क के किनारे की ओर घुमाकर पार्किंग ब्रेक लगा कर वाहन को पार्क कर दें।
- 133 वाहन चालक अपने वाहन को पहले या रिवर्स गियर में छोड़े, जिसमें ब्रेक छूटने पर भी वाहन के खिसकने का डर नहीं रहे।
- 134 वाहन चालक अपने वाहन को नो-पार्किंग की जगह कभी भी पार्क न करें। जैसे:-

1. फुटपाथ
2. जेब्रा क्रॉसिंग
3. पुल के ऊपर
4. सुरंग के अन्दर
5. हाइवे के जंक्शन पर
6. सड़के के बीच में
7. बाजार के बीच में
8. सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं दे रखी हो।
9. किसी के घर के दरवाजे के सामने
10. सार्वजनिक होटल के सामने
11. थियेटर के आसपास भीड़ वाली जगह पर।
12. सरकारी या प्राइवेट ऑफिस के आसपास जहाँ भीड़ भरा रास्ता हो।
13. अस्पताल जहाँ मरीजों व एम्बूलेंस के आवागमन का मार्ग हो।
14. किसी भी माल उतारने व चढ़ाने की जगह के आसपास जहाँ मालवाहक साधन अधिक आते हो।
15. ऐसी जगह जहाँ पहले से गाड़ी खड़ी हो जिसको निकालने की जगह आराम से मिल सके, तथा चालक आसानी से अपने वाहन को निकाल सके।
16. विद्यालय भवन के सामने।
17. विस्फोटक एवं आयुध डिपो के सामने

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

18. न्यायालय परिसर के सामने
 19. किसी भी धार्मिक स्थल के सामने
 20. गली मोहल्ले के सकड़े मार्ग पर
- 135 वाहन चालक अपने वाहन को उसी जगह पार्क करें, जिस स्थान पर पार्किंग का कोई बंधन नहीं हो जिससे वह कई परेशानियों से बच सकता है।
- 136 वाहन चालक इस बात का ध्यान रखें, कि यदि पार्किंग के स्थान पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है तो वाहन चालक को समझ लेना चाहिए कि इस स्थान पर वाहन पार्क करना सख्त मना है चाहे वह जगह खाली ही क्यों न हो, वाहन चालक बिना अनुमति के अपना वाहन पार्किंग न करें।
- 137 वाहन चालक इस बात का ध्यान रखें कि पार्किंग के नियमों के तहत किसी भी वाहन को एक जगह पर दस घंटे से अधिक पार्क नहीं किया जा सकता है।
- 138 वाहन चालक इस बात का ध्यान रखे कि यदि वाहन टेडा पार्क करने का संकेत नहीं दिया गया हो तो अपने वाहन को हमेशा सड़क के किनारे पर समानांतर खड़ा करना चाहिए।
- 139 वाहन चालक यह ध्यान रखें कि यदि वाहनों की पार्किंग लाईन लगी हुई है, तो अपना वाहन उन्ही के अन्दर पार्क करें जिससे सभी वाहन चालकों के साथ-साथ स्वयं भी परेशान न हो।
- 140 वाहन चालक इस बात का ध्यान रखे कि ईंजन को ज्यों ही चालू करता है उससे पहले अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर डाल लें। जिससे उसका ध्यान दूसरी तरफ न जाए।

- 141 वाहन चालक अपने वाहन में ईंधन भरवाते समय किसी भी हालात में मोबाइल का इस्तेमाल न करें ऐसा करना जान जोखिम में डालने के बराबर है।
- 142 वाहन चालक ऐसे वाहन को कभी भी ओवर टेक नहीं करें जो पैदल यात्रियों को रास्ता दे रहा है आप भी उसका सहयोग करें।
- 143 वाहन चालक की ड्यूटी बनती है कि वह किसी भी चौराहे या रेल्वे क्रॉसिंग और अन्य खतरनाक जगह पर अपने वाहन से ओवरटेक न करें।
- 144 वाहन चालक इस बात का ध्यान रखे कि यदि ओवर टेक करने वाली गाड़ी को अधिक रास्ते व जगह की जरूरत है तो अपने वाहन की गति धीमी रखें, तथा उस वाहन के ड्राइवर को ओवरटेक करने का साफ इशारा करें।
- 145 वाहन चालक इस बात का ध्यान रखें कि यदि कोई चालक सामने से यातायात के नियमों की अवेहलना करता हुआ ड्राइविंग करता आ रहा है तो प्रथम वाहन चालक को उस समय संयम से काम लेना है और अपने वाहन को सड़क के किनारे बाईं तरफ खड़ा कर लेना है।
- 146 वाहन चालक को यदि लम्बी दूरी की यात्रा पर जाना है तो ड्राइविंग से पहले स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद ले लेवें, जिससे यात्रा के दौरान उसको नींद परेशान न करें।
- 147 वाहन चालक कई बार नींद को दूर भगाने के लिए व उसकी पूर्ति को पूरा करने के लिए कभी चाय, कभी काफी कभी अन्य पेय पदार्थ आदि का सेवन कर नींद को दूर भगाने की कोशिश करता है जो कि वाहन चालक के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा सहयात्रियों की जान को जोखिम में डालना है इसलिए वाहन चालक को कभी भी ऐसा

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका
नहीं करना चाहिए।

- 148 वाहन चालक को यदि नींद बहुत ही परेशान कर रही है तो अपने वाहन को सुरक्षित स्थान पर पार्क करें तथा सफल यात्रा के लिए नींद की पूर्ति करें।
- 149 वाहन चालक अपनी लम्बी दूरी की यात्रा के लिए प्रस्थान करता है तो भारी भोजन व तेलयुक्त खाना न खाएं जिससे नींद की परेशानियों से बचा जा सके।
- 150 दुपहिया वाहन चालक जब भी अपने वाहन का इस्तेमाल करें, उस समय हेलमेट का उपयोग अवश्य करें।
- 151 दुपहिया वाहन चालक हेलमेट को अपने सिर पर सही तरीके से लगाये जिससे वो गिर न सके। सड़क पर कई जगह अचानक ब्रेकर व खड़डा आ जाने से हड़बड़ाहट में हेलमेट सिर से गिर जाता है।
- 152 दुपहिया वाहन चालक इस बात का ध्यान दे कि हेलमेट रास्ते का हमसफर है यदि अचानक तेज हवा चले तो आंखों की सुरक्षा प्रथम उपाय है। जिससे रास्ता देखने में कोई बाधा नहीं आयेगी।
- 153 दुपहिया वाहन चालक के पास एक उत्कृष्ट कम्पनी का आईएसआई हॉलमार्क का हेलमेट होना चाहिए। जिससे सिर का तापमान स्थिर रहे, बाहरी वाहनों की आवाज का अनुभव आसानी से किया जा सके। जिससे यात्रा में सुगमता बनी रहे।
- 154 दुपहिया वाहन चालक हेलमेट को बोझ न समझे, इसमें सिर की चमड़ी खराब नहीं होगी बल्कि वाहन चालक का सिर यात्रा में सुरक्षित रहेगा।
- 155 दुपहिया वाहन चालक व पीछे बैठी सवारी के लिए हेलमेट जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके अन्दर प्रयुक्त होने वाले ठोस सामान की

परत बनी हुई होती है जो कि यदि वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और वाहन चालक का सिर किसी वस्तु से टकराता है तो सीधी टक्कर हेलमेट से होगी और सिर पर लगने वाली चोट से वाहन चालक बच सकता है जिससे दिमाग को होने वाली क्षति से बचा जा सकता है।

- 156 दुपहिया वाहन चालक के लिए हेलमेट एक बेरियर का कार्य करता है जो सिर के टकराने वाली वस्तु का प्रभाव हेलमेट की सतह पर फैल जाता है जिससे वाहन चालक या पीछे बैठी सवारी सिर की खास चोट से बच सकते हैं।
- 157 दुपहिया वाहन चालक के लिए हेलमेट इसलिए जरूरी है कि खुली रोड़ पर हजारों वाहन चलते हैं जिसमें बहुत से चालकों को सड़क नियमों की जानकारी ही नहीं होती है इसलिए यदि कोई दुर्घटना होती भी है तो आईएसआई मार्क का हेलमेट एक ठोस कवच का बना होता है जिसमें किसी वस्तु के टकराने से उत्पन्न बल को बाहर रोक लेता है यह आवरण सिर की गम्भीर चोट को रोकता है तथा चोट लगने वाली तेजगति से घुसने वाली नुकुली वस्तुओं से सिर की सुरक्षा करता है।
- 158 दुपहिया वाहन चालक के सिर पर लगाया हुआ हेलमेट एक ऐसी परत का बना हुआ होता है जो टकराव की स्थिति में उस प्रभाव को अवशोषित कर लेता है जिसमें हेलमेट तो रूक जाता है परन्तु वाहनचालक का सिर गतिमान बना रहता है। ऐसे समय पर दुपहिया वाहन चालक व उसके साथ बैठी सवारी के सिर को तेज रफ्तार से टकराने से रोकती है। जिससे सिर सुरक्षित बच सकता है क्योंकि शरीर के सभी अंगों में मुख्य अंग(पार्ट) सिर ही है।
- 159 वाहन चालक के लिए वाहन चलाना एक सक्रिय गतिविधि है। जिसमें नशा बाधाएं उत्पन्न करता है।

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

- 160 वाहन चालक के वाहन में कम्पनी द्वारा लगाया गया सीट बेल्ट जीवन की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। दुर्घटना के समय सुरक्षा में मुख्य भूमिका का काम करता है।
- 161 वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट कम्पनी व मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों तथा उच्च दर्जे के रोड़ सुरक्षा के जानकारों ने बताया है कि सीट बेल्ट का उपयोग करने वाले वाहन चालक तथा अन्य सवारियों की सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 50 प्रतिशत हिफाजत करने तथा सुरक्षा प्रदान करने में सीट बेल्ट की महती भूमिका रही है।
- 162 वाहन चालक को चाहिए कि उसके वाहन में अन्य सवारी बैठी है, वो सभी सीट बेल्ट को आवश्यकतानुसार उपयोग में ले रही है? आश्वस्त होने पर ही अपने वाहन को गतिमान बनाये।
- 163 वाहन चालक अपनी गाड़ी में लगे सीट बेल्ट का उपयोग प्रति सीट बेल्ट प्रति सवारी के अलावा अन्य को उपयोग न करने दे। यानिकी एक सीट बेल्ट एक सवारी क्योंकि एक सीट बेल्ट एक व्यक्ति को उसकी कमर से लेकर उसके पूरे शरीर को अपने कब्जे में रखता है।
- 164 वाहन चालक व अन्य सवारी को सीट बेल्ट शरीर के किसी भी हिस्से को दुर्घटना के समय स्टीयरिंग या वाहन के किसी भी हिस्से को टकराने से रोकता है। जैसे वाहन किसी ठोस वस्तु से टकराता है तो सीट बेल्ट वाहन में चलने वाली सवारियों को सुरक्षा देने में काम करता है।

10 दुर्घटना आपात्कालीन स्थिति में क्या करे:-

1. तत्काल प्रभाव से स्थानीय दुरभाष नम्बर 108,100 या सड़क बोर्ड पर लिखित आपात्कालीन नम्बर पर दुर्घटना होने का समाचार देवें तथा नजदीकी अस्पताल को सूचित करें एवं घायल व्यक्ति को इलाज के लिए तुरन्त प्रभाव से अस्पताल पहुँचाया जाए। जिससे उसकी जान बचाई जा सके।
2. घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने के साथ ही उसके पास मिले किसी दस्तावेज से जानकारी लेकर उसके घर वालों तक यह समाचार शांतिपूर्वक पहुँचाया जाए। उसमें इस बात का ध्यान रखें की आपका इस नाम का व्यक्ति सड़क दुर्घटना में चौटिल हो गया है उसको हमने नजदीकी अमूक अस्पताल में भर्ती कराके इलाज शुरू करवा दिया है वैसे घबराने की कोई बात नहीं है आप अस्पताल पहुँचने की कोशिश करें।
3. घायल व्यक्ति को हर संभव आप मदद करें जब तक चिकित्सक सहायता नहीं पहुँचे मरीज को अकेला नहीं छोड़े।
4. घायल व्यक्ति यदि बेहोश है और उसकी सांस या हृदयगति(नाड़ी) सुचारु रूप से काम कर रही हो तो उसे जब तक आरामदायक स्थिति में रखें तथा करवट दिलाते रहे।
5. यदि व्यक्ति के सिर या गर्दन में चोट लगने की संभावना है तो उसको झटके से ना उठाये अन्यथा लकवे की शिकायत हो सकती है।
6. घायल व्यक्ति की यदि नाड़ी या सांस नहीं चल रही हो तो तुरन्त सी.पी.आर प्रारम्भ कर दी जाए।

11. सी.पी.आर क्या है?

किसी भी हादसे में जब कोई व्यक्ति घायल होता है उसकी सांस लेने व दिल का काम करना बंद हो जाए तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सी.पी.आर यानि कि कार्डियोपल्मोनरी रिस्सीटेशन की प्रक्रिया आती हो वह उस समय तत्कालीन मदद देकर एक अनमोल व्यक्ति की अमूल्य जान बचा सकता है, और उस घायल व्यक्ति को नवीन जिन्दगी प्रदान कर सकता है तथा इसी के साथ आज की दुरभाष क्रान्ति का इस्तेमाल करते हुए नजदीकी अस्पताल के डाक्टर से संपर्क कर सकता है। जब तक डाक्टर सुविधा उपलब्ध नहीं हो तब तक उसको अपनी जानकारी की सी.पी.आर चालू रखें।

सी.पी.आर कैसे करे?

1. घायल व्यक्ति को धरती पर सीधा लिटाएं जिससे उसको थोड़ा आराम महसूस हो।
2. घायल व्यक्ति की हड्डी के ऊपर अपने एक हाथ की हथेली को रखने के बाद दूसरे हाथ की हथेली को उसके ऊपर रखें और लगभग 18–20 सैकण्ड में 30 बार बिना हाथ हिलाए एक से दो इंच दबाव डालें।
3. पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम सांस देने के लिए उसका सिर सावधानी पूर्वक पीछे करते हुए टुड्डी को ऊपर करें ओर उसी अवस्था में घायल का मुंह खोल कर और उसका नाक दबाकर साधारण सांस दें।
4. घायल व्यक्ति के साथ इस तरह की ये दोनों प्रक्रिया तब तक चालू रखें जब तक वह चिकित्सक के पास नहीं पहुँचे। अस्पताल पहुँचने के बाद चिकित्सकीय परामर्श चालू करावें।

5. घायल व्यक्ति के शरीर के किसी भी अंग से खून निकल रहा हो तो उसको कपड़े द्वारा साफ कर देवे तथा कपड़े की पट्टी बांध देवें।
6. घायल व्यक्ति के शरीर में यदि कोई नुकीली चीज फंसी हुई हो तो उसको निकालने की कोशिश नहीं करें, बल्कि उसको तुरंत अस्पताल पहुँचाने की कोशिश करें जिससे उसका सही इलाज हो सके।

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

12 सड़क पर चलते समय निम्न बातों का ध्यान रखें

1. वाहन चालक सड़क के बांयी ओर मुड़ने के लिए अपने वाहन को पहले से ही बायीं लेन में रखे।
2. वाहन चालक अपने वाहन का बायां इंडीकेटर चालू रखें जिससे पीछे वाले वाहन चालक को मालूम हो जावे कि यह वाहन बायीं तरफ टर्न लेगा तथा साथ ही ड्राइवर अपने हाथ से मुड़ने का इशारा करे।
3. वाहन चालक किसी भी जंक्शन पर पहले दायीं ओर के वाहन को रास्ता दे, जिससे वह आसानी से अपने आप को सावधानी पूर्वक निकाल सके।
4. वाहन चालक सड़क जंक्शन पर ट्रैफिक लाइट या यातायात पुलिसकर्मी के संकेत का ध्यान रखें।
5. वाहन चालक यदि दायीं आरे मुड़ रहा है तो अपने वाहन को पहले से ही दायीं लेन में रखे तथा दायीं इंडीकेटर चालू रखे या अपने हाथ का इशारा चालू रखे।
6. वाहन चालक सामने से आ रहे वाहन का विशेष ध्यान रखें और उसको पहले रास्ता दें तथा यातायात नियमों का पूर्णतया पालन करे।
7. वाहन चालक को यू-टर्न लेना हो तो उससे यातायात नियमों के तहत तीस मीटर पहले दायीं इंडीकेटर चालू करें तथा वाहन को दायीं लेन में लेकर आएं।
8. वाहन चालक मुड़ने से पहले अपने वाहन के शीशे में देखते हुए पीछे के ट्रैफिक का ध्यान रखे।
9. वाहन चालक को ध्यान रहे कि जहाँ यू-टर्न लेना मना है उस स्थान

पर यू-टर्न नहीं करे।

- 10 वाहन चालक इस बात का ध्यान रखे कि सड़क के मध्य जहाँ यू-टर्न लेना नियमों के विरुद्ध है तथा सड़क के मध्य में लगातार खिंची गई सफेद या पीली रेखा पर या अन्य स्थान जहाँ यू-टर्न लेना मना हो वहाँ गाड़ी से यू-टर्न नहीं करे।
- 11 वाहन चालक यू-टर्न लेते समय अपने सामने से आ रहे वाहन को पहले जाने दें।
- 12 वाहन चालक यू-टर्न लेते ही अपनी लेन में ट्रैफिक नियमों के तहत वाहन चलाये।
- 13 वाहन चालक इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि सार्वजनिक परिवहन वाहन ई-रिक्सा, ऑटोरिक्सा, बस ,कार आदि जिसमें यात्रियों को बार-बार चढ़ाना-उतारना पड़ता हो उन वाहनों को सड़क के एकदम बायीं तरफ की लेन में ही रहना चाहिए जिससे अन्य वाहन चालकों को परेशानी ना हो।

13. विंडशील्ड का उपयोग

कार की विंडशील्ड को बरसात के मौसम में वाइपर्स से कैसे बचाएं और वर्षा ऋतु में वाइपर से होने वाले नुकसान से बचने के लिए इन बिन्दुओं को मध्य नजर रखे :-

1. वाइपर को धूप से बचाना बेहद जरूरी है। धूप इसके रबर को खराब कर देती है, इसमें दरार आ जाती हैं। वक्त-वक्त पर वाइपर के रबर को चेक करते रहें। रबर जरा भी कड़क महसूस हो या कटा-फटा दिखे तो तुरंत बदलें।

2. सूखी विंडशील्ड पर कभी वाइपर नहीं चलाएं। विंडशील्ड वाइपर्स गीली सतह को साफ करने के लिहाज से बने होते हैं। सूखी सतह पर अधिक घर्षक होता है और इससे रबर कट-फट या घिस जाता है। यह भी सही है कि विंडशील्ड को वाइपर से साफ करना ही सबसे ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले पानी स्प्रे करना चाहिए।

3. गंदी विंडशील्ड पर वाइपर्स का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा अकसर अनजाने में हो जाता है क्योंकि जब बारिश में आगे चलने वाली गाड़ियों का कीचड़ भरा पानी कार की विंडशील्ड पर उड़ता है तो हाथ सीधे वाइपर ऑन करने के लिए बढ़ते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि पहले वॉटर स्प्रे चालू किया जाए और फिर वाइपर। गंदे पानी के साथ उड़कर आया कीचड़ विंडशील्ड को बुरी तरह घिस देता है फिर इससे वाइपर भी खराब करेगा। यदि कार खड़ी हुई है तो पहले इस गंदगी को स्पंज से हटाया जा सकता है।

4. बर्फीले इलाके में हैं तो बर्फबारी की वजह से कई बार कार की विंडशील्ड पर बर्फ गिरकर जामा हो जाती है। इस बर्फ को भी कभी वाइपर से हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोग इसे वाइपर से हटा देते हैं। ठंडे इलाकों में रहने वाले तो फिर भी इससे होने वाले नुकसान जानते हैं, लेकिन गर्म इलाकों में रहने वालों से यह गलती हो ही जाती है।

आइस स्क्रैपर पास नहीं हो तो एटीएम कार्ड से भी बर्फ हटाई जा सकती है।

5. वाइपर्स कार की उन चीजों में शामिल हैं जिन्हें वक्त-वक्त पर बदलते रहना चाहिए। बिना उपयोग के भी यह खराब हो जाते हैं। हर दो साल में इन्हें बदल दिया जाना चाहिए, अगर यह कटे-फटे नहीं है तो भी। विंडशील्ड को भले ही यह अच्छे से साफ कर रहे हों लेकिन यदि आवाज कर रहे हैं तो इन्हें बदल दीजिए।

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

14 सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण निम्न हो सकते हैं

- 1 वाहन चालक को सड़क के नियमों की जानकारी नहीं होना।
- 2 वाहन चालक द्वारा जान बूझकर यात्रा के समय नियमों की अनदेखी करना।
- 3 वाहन चालक द्वारा अपने वाहन को तेज गति से चलाना।
- 4 वाहन चालक द्वारा गलत तरीके से ओवरटेक करना।
- 5 वाहन चालक द्वारा अपने वाहन में क्षमता से अधिक वजन लेकर चलना।
- 6 सड़क पर अंधे मोड़ होने की वजह से वाहनों का आपस में नजर नहीं आना।
- 7 रात के समय पैदल यात्री भी गहरे रंग के कपड़े पहने होने के कारण दिखाई नहीं देना।
- 8 सहयात्री के मोबाइल और संगीत के द्वारा सतर्कता खोना।
- 9 चालक द्वारा नशा(शराब, दवा खाना) करना।
- 10 वाहन चालक द्वारा गुस्से में और अंधाधुंध, जल्दबाजी में वाहन चलाना।
- 11 वाहन चालक के द्वारा अधिक समय बिना आराम किये लगातार वाहन चलाते रहने से थकान व नींद भी सड़क दुर्घटना का कारण है।
- 12 सड़क की बनावट सही नहीं होना।
- 13 वाहन चालक को मौसम की दशा व दिशा का सही ज्ञान नहीं होना।
- 14 सार्वजनिक परिवहन के साधन अपने लालच के चक्कर में सवारी

लेने में अचानक गलत तरीके से वाहन को रोक देते हैं। जैसे रिक्सा , बस, टैम्पू जीप , थ्रीव्हीलर व भारी वाहन साधन ट्रक भारी वाहनों को अचानक सड़क पर ब्रेक लगाकर नहीं रोकना चाहिए, जिससे पीछे से आ रहे वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

15. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय

Regional Transport Office या **Regional Transport Authority (RTO/RTA)** भारतीय सरकार का संगठन है जो भारत के विभिन्न राज्यों के लिए ड्राइवरों के डेटाबेस और वाहनों के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। मोटर वाहन विभाग की स्थापना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213 (1) के तहत की गई है। यह पूरे देश में लागू एक केंद्रीय अधिनियम है। मोटर वाहन विभाग इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इस विभाग का नेतृत्व परिवहन आयुक्त द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य और शहर का अपना आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) होता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में रखे गए कार्यों और गतिविधियों को पूरा करने के लिए प्रत्येक आर.टी.ओ. जिम्मेदार है।

समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित मोटर वाहन, केंद्रीय मोटर वाहन नियमों और राज्य मोटर वाहन नियमों के विभिन्न कार्यों के प्रावधानों को लागू करना। परमिट के प्रबंधन के माध्यम से सड़क परिवहन के समन्वय विकास सुनिश्चित करें। वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर प्रसारित करें और जमा करें।

आर.टी.ओ. की गतिविधियां

1. वाहनों का पंजीकरण।
2. मोटर वाहन कर जमा करना।
3. पब्लिक और माल ट्रांसपोर्ट के लिए लाइसेंस जारी करना।
4. ड्राइविंग टेस्ट का संचालन करना और लर्निंग और स्थायी ड्राइवर लाइसेंस को जारी करना और इसे नवीनीकृत करना।
5. पंजीकृत वाहनों का डेटाबेस बनाए रखना।
6. वाहन हस्तांतरण और गिरवी वाहनों के रजिष्ट्रेशन को मेंटेन करना।
7. मोटर वाहनों पर बीमा की वैधता पर उचित जांच बनाए रखना।
8. एक्सीडेंटल वाहनों का मैकेनिकल निरीक्षण करना।

9. वाहनों को परिवहन के लिए फिटनेस का अनुदान प्रमाण पत्र जारी करना।
10. ऑटो रिक्शा और टैक्सी जैसे सार्वजनिक सेवाओं के वाहनों के ड्राइवरों को बैज जारी करना।
11. अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को जारी करना।

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

16. राजस्थान आर.टी.ओ. की सूची

<u>RJ-01</u>	<u>Ajmer</u>
<u>RJ-02</u>	<u>Alwar</u>
<u>RJ-03</u>	<u>Banswara</u>
<u>RJ-04</u>	<u>Barmer</u>
<u>RJ-05</u>	<u>Bharatpur</u>
<u>RJ-06</u>	<u>Bhilwara</u>
<u>RJ-07</u>	<u>Bikaner</u>
<u>RJ-08</u>	<u>Bundi</u>
<u>RJ-09</u>	<u>Chittaurgarh</u>
<u>RJ-10</u>	<u>Churu</u>
<u>RJ-11</u>	<u>Dholpur</u>
<u>RJ-12</u>	<u>Dungarpur</u>
<u>RJ-13</u>	<u>Sri Ganganagar</u>
<u>RJ-14</u>	<u>Jaipur South</u>
<u>RJ-15</u>	<u>Jaisalmer</u>
<u>RJ-16</u>	<u>Jalore</u>
<u>RJ-17</u>	<u>Jhalawar</u>

<u>RJ-18</u>	<u>Jhunjhunu</u>
<u>RJ-19</u>	<u>Jodhpur</u>
<u>RJ-20</u>	<u>Kota</u>
<u>RJ-21</u>	<u>Nagaur</u>
<u>RJ-22</u>	<u>Pali</u>
<u>RJ-23</u>	<u>Sikar</u>
<u>RJ-24</u>	<u>Sirohi</u>
<u>RJ-25</u>	<u>Sawai Madhopur</u>
<u>RJ-26</u>	<u>Tonk</u>
<u>RJ-27</u>	<u>Udaipur</u>
<u>RJ-28</u>	<u>Baran</u>
<u>RJ-29</u>	<u>Dausa</u>
<u>RJ-30</u>	<u>Rajsamand</u>
<u>RJ-31</u>	<u>Hanumangarh</u>
<u>RJ-32</u>	<u>Kotputli (Jaipur)</u>
<u>RJ-33</u>	<u>Ramganj Mandi (Kota)</u>
<u>RJ-34</u>	<u>Karauli</u>
<u>RJ-35</u>	<u>Pratapgarh</u>

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

RJ-36 Beawar (Ajmer)

RJ-37 Didwana (Nagaur)

RJ-38 Abu Road (Sirohi)

RJ-39 Balotra (Barmer)

RJ-40 Bhiwadi (Alwar)

RJ-41 Chomu (Jaipur)

RJ-42 Kishangarh (Ajmer)

RJ-43 Phalodi (Jodhpur)

RJ-44 Sujangarh (Churu)

RJ-45 Jaipur North

RJ-46 Bhinmal (Jalore)

RJ-47 Dudu (Jaipur)

RJ-48 Kekri (Ajmer)

RJ-49 Nohar (Hanumangrah)

RJ-50 Nokha (Bikaner)

RJ-51 Shahpura (Bhilwara)

RJ-52 Shahpura (Jaipur)

17. भारत के यातायात के नियम व चिन्ह।

भारत में रोड पर सुरक्षित ड्राइव करने के लिए भारत सरकार ने कुछ यातायात के नियम बनाए, जिनका पालन करके रोड पर सावधानी रखी जा सकती है। हम रोज न्यूज पेपर और न्यूज चैनल पर रोड एक्सिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। यह एक्सिडेंट हमें भारत के खराब ड्राइवर और उनके यातायात के नियम का पालन करने की कहानी बताते हैं। आज के समय में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता, जब हम कोई रोड एक्सिडेंट के बारे में ना सुने, यह सब ड्राइवर के यातायात के नियम ना फॉलो करने और बस अपने शौक के लिए औरों की भी परवाह ना करने के कारण होता है। आजकल छोटे बच्चे भी ड्राइविंग करते हैं। उन्हें यातायात के नियमों की ना तो समझ होती है, ना ही वो उसका पालन करना चाहते हैं, वे तो बस आगे निकलने की दौड़ में शामिल होते हैं।

भारत में यातायात के नियम:-

अगर व्यक्ति चाहे तो बस कुछ यातायात के नियमों का पालन करके खुद को तथा दूसरों को सुरक्षित रख सकता है। यहाँ कुछ साधारण भारत के यातायात के नियमों का मतलब बताया गया है, जिनका पालन करके हम हमारे यातायात को बेहतर बना सकते हैं, तथा यातायात की इस बड़ी समस्या से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है।

- **अपने वाहन की पार्किंग का ध्यान रखे :** अपने वाहन की पार्किंग इस तरह से ना करे, कि वह दूसरों के लिए मुश्किल बन जाए, आप थोड़े समय के लिए भी पार्किंग करना चाहे, तब भी सही जगह पर ही पार्किंग करें, ताकि दूसरों को कोई दिक्कत ना हो।
- **सड़क पर ड्राइव करते समय ओवरटेक ना करे :** जब भी आप ड्राइव करते हैं, तो किसी से रेस ना लगाए, यह जरूरी नहीं कि कोई आपसे आगे निकल गया, तो आप भी उससे आगे निकले और यातायात के नियम को तोड़े, अगर आप यातायात के नियमों का पालन करते हुये गाड़ी चलाते हैं, तो यह आपके साथ-साथ दूसरों के लिए भी अच्छा होगा।
- **बहुत ज्यादा और लगातार हॉर्न का उपयोग न करें :** अगर आप लगातार हॉर्न बजाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं, कि आगे लगा हुआ जाम जल्दी क्लियर हो जाएगा, इससे सिर्फ सामने वाले व्यक्ति पर दबाव बनता है और ध्वनि प्रदूषण फैलता है, इससे अच्छा होगा, कि आप थोड़ा इंतजार करे और सामने वाले को निकलने को मौका दे।

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

- **एक तरफा रोड़ :** जब आप एक तरफा रोड़ में होते हैं, तो उसे फॉलो करें, तथा उसे तोड़ें नहीं, यह कुछ दूरी के लिए होता है, यह ड्राइवर की सुविधा के लिए ही बना होता है, तो इसे फॉलो करें, अगर कोई अपना समय का बचाने की उम्मीद से गलत साइड में चलता है तो वह अपने साथ-साथ दूसरों का भी समय खराब करता है।
- **लेन अनुशासन :** अगर आप किसी लेन में हो तो उसे फॉलो करें, बिना किसी अनुदेश के लेन को तोड़ें नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपने समय को बचाने की दृष्टि से लेन को तोड़ता है तो वह आने वाले वाहनों को प्रभावित करता है।
- **यू-टर्न :** यह ध्यान रखिए की यू-टर्न ड्राइवर का अधिकार नहीं है यह बस ड्राइवर की सुविधा के लिए बना होता है, जब भी आप यू-टर्न पर हो तो आगे पीछे के ट्रैफिक को देख लें, तथा सभी की सुविधाओं को देखते हुये यू-टर्न लें।
- **हाथ सिग्नल :** अगर आप हाथ सिग्नल का उपयोग करते हैं, तो यह आपके पीछे चल रहे व्यक्ति के लिए सुविधा होती है, इससे आपके पीछे चल रहा व्यक्ति आपके साइड को समझ कर सेफ ड्राइविंग कर सकता है।
- **यातायात संकेत और यातायात नीति :** यह जो यातायात संकेत और यातायात नीति होती है, यह उसे जगह पर ड्राइवर को किसी कारण से दी जाती है ताकि वह इसे ठीक से पढ़ें और फॉलो करें, यातायात संकेत और यातायात नीति के दिये जाने का सबसे बड़ा कारण हमारी सड़कों के ट्रैफिक को बेहतर बनाना है।
- **गति प्रतिबंध :** ड्राइविंग करते समय गति सबसे बड़ा फैक्टर होता है, अक्सर देखा जाता है कि रोड़ के अच्छे होने पर ड्राइवर के द्वारा स्पीड बढ़ा ली जाती है, परन्तु ऐसा होना चाहिए कम से कम सिटी में तो स्पीड लिमिट को फॉलो करना चाहिए।
भारत में इन नियमों को फॉलो करके दुर्घटना होने के खतरे से बचा जा सकता है।

18. भारत में यातायात के मुख्य संकेत।

भारत में यातायात के संकेत को फॉलो करना अतिआवश्यक है, इससे सड़क दुर्घटना जैसे हादसों से बचा जा सकता है, ये यातायात के मुख्य तीन संकेत किसी भी शहर के चौराहों में लगे होते हैं ये संकेत तीन रंग को दर्शाते हैं, जिसके बारे में यहाँ दर्शाया जा रहा है—

- **लाल लाइट :** यातायात के मुख्य तीन संकेतों में से लाल लाइट का मतलब होता है, रुकना , अर्थात् जब भी आप किसी चौराहें से गुजरते हैं तो आपको वहाँ जब लाल लाइट जलती हुई नजर आये तो आपको वहाँ रुकना होगा।
- **पीली लाइट :** पीली लाइट का मतलब होता है चलने के तैयार हो जाना, अर्थात् जब आप लाल लाइट पर रुकते हैं इसके बाद जब पीली लाइट जलती है तो यह आपको चलने के लिए तैयार हो जाने का संकेत देती है।
- **हरी लाइट :** हरी लाइट का मतलब होता है जाना, अर्थात् जब सिग्नल में हरी लाइट जलती है तो इसका अर्थ यह है कि आपको इस पर चलना है।

इस प्रकार आप इस संकेतों को फॉलो करके दुर्घटना होने से बच सकते हैं।

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

19. भारत में यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि

धाराएं		वर्तमान में जुर्माना(रूपये)	प्रस्तावित जुर्माना राशि(रूपये)
177	सामान्य	100	500
नया 177ए	सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम	100	500
178	बिना टिकट सफर	200	500
179	अधिकारियों के आदेश की अवहेलना	500	2000
180	बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग	1000	5000
181	बिना लाइसेंस के वाहन चलाना	500	5000
182	अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग	500	10000
182बी	ओवरसाइज वाहन	नया	5000
183	ओवर स्पीडिंग	400	एलएमवी के लिए 1000रु, मध्यम श्रेणी के यात्री वाहन के लिए 2000रु
184	खतरनाक ड्राइविंग	1000	5000 तक
185	नशे में ड्राइविंग	2000	10000
189	स्पीडिंग-रेसिंग	500	5000
192ए	बिना परमिट का वाहन	5000 तक	10000 तक
193	एग्रीगेटर्स (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन) टैक्सी वालों के लिए	नया	25000रु से 100000रु तक
194	ओवरलोडिंग	2000रु और प्रति टन 1000रु अतिरिक्त	20000रु और प्रति टन 2000रु अतिरिक्त
194ए	यात्रियों की ओवरलोडिंग		1000रु प्रति यात्री
194बी	सीट बेल्ट	100	1000
194सी	दो पहिया वाहनों पर क्षमता से ज्यादा वजन	100	2000रु, तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड

194डी	हेलमेट	100	1000रु और 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड
194ई	इमरजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस और फायरब्रिगेड को रास्ता न देना	नया प्रावधान	10000
196	बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग	1000	2000
199	नाबालिगों द्वारा ड्राइविंग	नया प्रावधान	पेरेंट्स, वाहन के मालिक को दोषी ठहराया जाएगा। साथ ही 25 हजार रूपये जुर्माने के साथ 3 साल की कैद। नाबालिग पर जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में मामला दर्ज होगा और मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कैंसल होगा।
206	अधिकारियों के पास दस्तावेज जमा कराने का अधिकार	नया प्रावधान	अंडर सेक्शन 183, 184, 185, 189, 190, 194सी, 194डी, 194ई के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन
210बी	कानून का पालन कराने वाली अथॉरिटी के कर्मचारी या अधिकारी छुवारा यातायात नियमों का उल्लंघन	नया प्रावधान	संबंधित धरा के उल्लंघन का दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा।

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

20. राजस्थान में मोटर वाहन अधिनियम जुर्माना राशि 9/7/2020

राजस्थान सरकार द्वारा संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट की जुर्माना राशि लागू कर दी गई। जबकि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जुर्माने को प्रदेश सरकार ने दस गुना तक कम कर दिया है। जैसे— रेड लाइट जंप करने पर केंद्र ने 10 हजार रु. का भारी-भरकम जुर्माना लगाया था, जबकि प्रदेश सरकार ने इसे एक हजार रु. कर दिया है। इसी तरह, शराब पीकर गाड़ी चलाने (ड्रंक एंड ड्राइव) पर केंद्र ने 10 हजार रु. जुर्माना और 6 माह की सजा का प्रावधान किया है। जबकि राज्य सरकार ने इसे 10 हजार रु. जुर्माना तक सीमित कर दिया है। इसके अलावा ओवरलोडिंग वाहनों पर अब 40 हजार रु. तक का जुर्माना होगा। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास के साथ इस विषय में चर्चा कर 1 सितम्बर, 2019 से लागू मोटर यान (संशोधन) अधिनियम-2019 के तहत जुर्माना राशि निर्धारण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जबकि केंद्र सरकार ने 10 महीने ही संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने जुर्माने की राशि कम करने की वजह से इसे लागू नहीं किया। इससे पहले 1998 में मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ था। राज्य सरकार ने केन्द्र द्वारा लागू किये गए जुर्माना राशि को अधिक समझा इसलिए मौजूदा राशि के मुकाबले यह राशि ज्यादा थी, इस पर राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा को सर्वोपरि समझा और सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से वाहन चालन से जुड़े अपराधों के प्रति कड़ा रुख अपनाया। इसी के साथ आमजन से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा संबंधी सभी नियमों की आवश्यक रूप से पालना करें। यह उनके जीवन की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अभी रेड लाइट जंप करने पर 500 रु. शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 रु. और 6 माह की सजा, मोबाइल पर बात करने पर 500 रु. जुर्माना लगता था।














चीता पब्लिकेशन

अपराध की श्रेणी	राज्य सरकार(रुपए)	केन्द्र सरकार(रुपए)
सामान्य अपराध	दोपहिया 100, चार पहिया 200	500-1500
मोबाइल पर बात करने पर	1000	10000
बिना शीट बेल्ट	1000	1000
दोपहिया वाहन पर दो से अधिक	1000	1000रु और 3माह निलंबित
बिना हेलमेट	1000	1000रु और 3माह लाइसेंस निलंबित
ड्रंक एंड ड्राइव	10000	10000 और 6माह की सजा
इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर	10हजार रु	10हजार और 6माह की सजा
खतरनाक ड्राइविंग पर	पहले 1000, दूसरे में 10000	1000
आदेशों की अवहेलना पर	500	2000
तेज गति से ड्राइविंग पर	1000	1000
तेज गति से भारी वाहन चलाने पर	2000	2000
बिना बीमा पर	2000, दूसरी बार अपराध में 4000	2000
रेड लाइट जंपिंग करने पर	1000	10000
असुरक्षित वाहन चलाने पर	दुपहिया, तिपहिया 500	1500-5000
लाइसेंस एक्सपायर व निलंबित पर	5000	5000 और तीन माह की सजा
बिना अनुमति रेसिंग करने पर	पहले 5000, दूसरे में 10000	5000
बिना रजिस्ट्रेशन और फिटनेस पर	दोपहिया 2000	5000-10000
बिना परमिट वाहन पर	10000	10000
ओवरलोड वाहन होने पर	20000 फिर प्रतिटन 2000	20000
वर्जित क्षेत्र में वाहन चलाने पर	20000	
ओवरलोड यात्रीभार मिलने पर	100 प्रति यात्री	200 प्रति यात्री

21. Road Traffic Signs in India





Mandatory/Regulatory Signs

 Stop	 Give way	 No entry	 Straight prohibited
 One way	 One way	 Vehicles prohibited in both directions	 Horn prohibited
 Pedestrians prohibited	 Cycles prohibited	 Right turn prohibited	 Left turn prohibited
 U-turn prohibited	 Overtaking prohibited	 Trucks prohibited	 Tonga prohibited

















 <p>All motor vehicles prohibited</p>	 <p>Hand cart prohibited</p>	 <p>Bullock cart prohibited</p>	 <p>Bullock and hand carts prohibited</p>
 <p>No parking</p>	 <p>No parking or stopping</p>	 <p>Speed limit</p>	 <p>Axle load limit</p>
 <p>Width limit</p>	 <p>Weight limit</p>	 <p>Length limit</p>	 <p>Load limit</p>
 <p>Restriction and</p>			

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका















Compulsory direction control

 <p>Turn left</p>	 <p>Turn right</p>	 <p>Ahead or turn left</p>	 <p>Ahead or turn right</p>
 <p>Ahead</p>	 <p>Keep left</p>	 <p>Sound horn</p>	 <p>Cycle rickshaw track</p>
 <p>Sleep road ahead</p>	 <p>Main road ahead</p>	 <p>Pedestrians only</p>	 <p>Buses only</p>





















Cautionary signs

			
Right hand curve	Left hand curve	Right hand pin bend	Left hand pin bend
			
Right reverse bend	Narrow bridge	Gap in median	Cycle crossing
			
Pedestrian crossing	School	Men at work	Roundabout
			
Narrow road	Road widens	Side road left	Side road right


वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

 <p>Major road</p>	 <p>Major road</p>	 <p>Staggered intersection</p>	 <p>Staggered intersection</p>
 <p>Y-intersection</p>	 <p>Y-intersection</p>	 <p>Y-intersection</p>	 <p>T-intersection</p>
 <p>Start of dual carriageway</p>	 <p>End of dual carriageway</p>	 <p>Reduced carriageway</p>	 <p>Reduced carriageway</p>
 <p>Two way</p>	 <p>Cross road</p>		

Information signs

 <p>Advance direction</p>	 <p>Map type advance direction</p>	 <p>Rotary intersection</p>	 <p>Reassurance</p>
 <p>Direction</p>	 <p>Direction</p>	 <p>Place identification</p>	 <p>Truck lay bay</p>
 <p>Toll booth ahead</p>	 <p>Parking this side</p>	 <p>Parking both sides</p>	 <p>Cycle stand</p>
 <p>Scooter and motor cycle stand</p>	 <p>Taxi stand</p>	 <p>Auto-rickshaw stand</p>	 <p>Cycle-rickshaw stand</p>
 <p>Public telephone</p>	 <p>Filling station</p>	 <p>Hospital</p>	 <p>First aid post</p>

वाहन चालकों के जीवन सुरक्षार्थ मार्ग दर्शिका

 Eating place	 Light refreshment	 No through road	 No through side road
 Resting place	 Pedestrian subway	 Airport	 Repair facility
 Police station	 Railway station	 Bus stop	 Taxi stand
 Auto-rickshaw stand	 Cycle-rickshaw stand		